CMYK

अधिकतम :34°C
न्यूनतम: 20°C
सेंसेक्स 74,227.08
निफ्टी 22,535.85
सोना 91,025
चांदी 94,000

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

बरेली, बुधवार 9 अप्रैल 2025 बरेली संस्करण: वर्ष 22 अंक 134 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

www.shahtimesnews.com

विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें। मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com चैत्र शुक्ल पक्ष 12 विक्रमी सम्वत् 2082 10 शव्वाल 1446 हिजरी नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित

ट्रेड वॉर हुआ, तो हम तैयार: चीन

विस्तृत खबर देश-विदेश पर

रजत पाटीदार पर लगा धीमे ओवर रेट का जुर्माना

विस्तृत खबर खेल टाइम्स पर

रक्षा सहयोग और सह-उत्पादन में मिलकर काम करेंगे भारत व यूएई

नई दिल्ली। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने रक्षा सहयोग, सह-उत्पादन तथा सह-विकास परियोजनाओं, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। भारत की यात्रा पर आए दुबई के शहजादे एवं संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच मुलाकात के दौरान देशों ने इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री सिंह ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यूएई के रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के साथ के साथ नई दिल्ली में एक सार्थक बैठक हुई। भारत के लिए यूएई के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी अत्यधिक प्राथमिकता है। आने वाले वर्षों में, हम रक्षा सहयोग, सह-उत्पादन और सह-विकास परियोजनाओं, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। भारत और यूएई दोनों ही क्षेत्र में शांति और समृद्धि की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उल्लेखनीय है कि शहजादे मकतूम कल भारत यात्रा पर राजधानी दिल्ली पहुंचे थे।

मोदी ने दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान का किया स्वागत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा को याद किया, जिसके दौरान उन्होंने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाग लिया था।

दुबई के युवराज शेख हमदान ने की विदेश मंत्री से बातचीत

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दुबई के युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम का राजधानी स्वागत किया। विदेश मंत्री डा. जयशंकर ने अपने कार्यालय में बातचीत के लिए पहुंचे शेख हमदान की तस्वीरों के साथ एक पोस्ट में कहा कि दुबई के युवराज और संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री महामहिम हमदान मोहम्मद से मिले।

कर्नाटक छेड़छाड़ मामला गृह मंत्री ने माफी मांगी

बेंगलुरु, वार्ता

■ कहा- महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित, पहले बोले थे- बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं आम

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने यौन उत्पीड़न की घटना पर अपनी टिप्पणी के बाद माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, जो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता हूं।

अगर मेरी बातों से किसी महिला को ठेस पहुंची है, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं और माफी मांगता हूं। जी. परमेश्वर ने अपने बयान को गलत समझने और इसे और तोड़-मरोड़ कर पेश करने की बात कही। दरअसल, बेंगलुरु के एक वायरल वीडियो में एक युवक सड़क पर दो लड़कियों के पास जाकर उन्हें गलत तरीके से छूकर भागता हुआ दिखाई दिया था। वीडियो बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट इलाके का है। घटना 3 अप्रैल की है, जिसके बाद जांच को लेकर पूछे गए सवाल पर जी परमेश्वर ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होती रहती हैं। इस वीडियो को लेकर भाजपा ने राज्य गृह मंत्री की आलोचना की और इस्तीफे की मांग की थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और जी परमेश्वर से इस्तीफा मांगना चाहिए।

वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते गवर्नर: सुप्रीम कोर्ट

कहा: तमिलनाडु के राज्यपाल का 2023 में 10 विधेयकों को रोकना अवैध

शाह टाइम्स ब्यूरो

■ कहा: पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो की अवधारणा की संविधान में जगह नहीं
■ राज्यपाल को विधेयकों को अपने पास लेकर बैठे रहने की अनुमति नहीं

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के वर्ष 2023 में 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखने के फैसले को मंगलवार को अवैध, गलत और त्रुटिपूर्ण घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने श्री रवि द्वारा की गई उन सभी कार्रवाइयों को खारिज करने का फैसला सुनाया।

पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल संविधान के तहत 'पॉकेट वीटो' या पूर्ण वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो की अवधारणा की संविधान में जगह नहीं। इसका मतलब है कि राज्यपाल को विधेयकों को अपने पास लेकर बैठे रहने की अनुमति नहीं है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए फैसला सुनाया और कहा कि 10 विधेयक राज्यपाल के समक्ष दोबारा पेश किए जाने की तारीख से ही स्पष्ट माने जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल द्वारा स्वीकृति रोके जाने के बाद उन्हें अनुच्छेद 200 के प्रथम प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल विधेयकों को अपने पास रख कर पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। राज्यपाल के लिए स्वीकृति रोके जाने की घोषणा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 200 के तहत पॉकेट वीटो का कोई प्रावधान नहीं है। शीर्ष अदालत ने विधेयकों पर समय-सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि स्वीकृति रोके जाने तथा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित किए जाने की स्थिति में समय-सीमा अधिकतम एक महीने की है। यदि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना स्वीकृति रोकी जाती है, तो विधेयक को तीन महीने के भीतर वापस करना होगा। पीठ ने अंत में, स्पष्ट किया कि राज्य विधानसभा की ओर से पुनर्विचार के बाद विधेयक प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर एक महीने के भीतर स्वीकृति दी जानी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि इस समय-सीमा का पालन न किए जाने पर न्यायिक जांच की जाएगी।

नैतिक पुलिसिंग अदालतों का काम नहीं

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अदालतों को नैतिक पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला और संगीतकार विशाल ददलानी पर 2016 में ट्विटर पर जैन संत तरुण सागर का कथित तौर पर अपमान करने और उनका मजाक उड़ाने के लिए 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। पीठ ने पूछा कि अदालत (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय) ने किस तरह का आदेश पारित किया है? अदालत को नैतिक पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए। यह अदालत का काम नहीं है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं (तहसीन पूनावाला और विशाल ददलानी) को राहत देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित था कि अपीलकर्ताओं ने एक खास धर्म के पुरोहित की आलोचना की थी।

नौ राज्यों में लू की चेतावनी राजस्थान में रेड अलर्ट

■ मप्र के 23 जिलों में पारा 40 पार, 13 राज्यों में बारिश के आसार

नई दिल्ली। देश के उत्तर-पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट है। राजस्थान में रात का पारा भी 45 डिग्री के पार जा रहा है।

नॉर्थ-ईस्ट और साउथ के 8 राज्यों में बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 9 राज्यों में लू और गर्मी का अलर्ट जारी किया। वहीं, नॉर्थ-ईस्ट और साउथ के 13 राज्यों में आंधी-बारिश के आसार हैं। इधर, राजस्थान में अब दिन के साथ रात भी गर्म होने लगी है। कुछ शहरों में रात का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मंगलवार को यहां हीटवेव का रेड अलर्ट है। इसके अलावा 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश में सोमवार को भी गर्म हवाओं की वजह से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। रतलाम-नीमच समेत 8 जिलों में लू का अलर्ट है।

दिलसुखनगर बम विस्फोट मामले में मौत की सजा बरकरार

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिलसुखनगर बम विस्फोट मामले में पांच दोषियों की मौत की सजा की पुष्टि की और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति लक्ष्मण और न्यायमूर्ति श्रीसुधा की पीठ ने दोषियों की ओर से पेश अपीलों को खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। वर्ष 2013 में 21 फरवरी को देश को झकझोर देने वाले इन धमाकों में 18 लोगों की जान चली गई थी और 131 से अधिक लोग घायल हुए थे। एनआईए ने सिलसिलेवार बम विस्फोटों की विस्तृत जांच की थी।

यूपी: PRD जवानों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी

शाह टाइम्स ब्यूरो

■ अब 395 रुपये के बजाय ड्यूटी भत्ते के तौर पर 500 रुपये दिए जाएंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) स्वयंसेवकों के दैनिक ड्यूटी भत्ते में लगभग 26 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब इन्हें 395 रुपये के बजाय ड्यूटी भत्ते के तौर पर 500 रुपये दिए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 35 हजार पीआरडी जवानों को मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि प्रस्ताव के तहत पीआरडी जवानों का भत्ता 395 रुपये से बढ़ाकर अब इसे 500 रुपये कर दिया गया है। मौजूदा समय में प्रदेश में 34 हजार से अधिक पीआरडी जवान तैनात हैं और इस बढ़ी हुई राशि का लाभ इन सभी जवानों को मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 13 को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि ड्यूटी भत्ते में यह 105 रुपये की वृद्धि एक अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पर प्रदेश सरकार पर 75 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 34092 पीआरडी स्वयंसेवक हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा।

मुद्रा योजना उद्यमशीलता के बारे में एक मौन क्रांति लाई: मोदी

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को यहां अपने निवास पर इसके लाभार्थियों से बात की और कहा कि इस योजना ने उद्यमशीलता के बारे में सामाजिक बदलाव के साथ एक मौन क्रांति ला दी है। श्री मोदी ने प्रतिभागियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने पालतू पशुओं की आपूर्ति, दवाओं और सेवाओं के उद्यमी बने एक लाभार्थी से बातचीत करते हुए, चुनौतीपूर्ण समय के दौरान किसी की क्षमता पर विश्वास करने वालों के प्रति आभार व्यक्त करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

राजयोगिनी दादी रतनमोहिनी का 101 वर्ष की उम्र में निधन

आबू रोड (सिरोही)। महिला शक्ति संगठन ब्रह्माकुमारी की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतनमोहिनी का सोमवार देर रात निधन हो गया। वह 101 वर्ष की थी। उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद के जाइडिस अस्पताल में देर रात एक बजकर बीस मिनट पर अंतिम सांस ली। उनके पार्थिक शरीर को आबूरोड लाया गया, जहां मुख्यालय शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हाल में अंतिम दर्शनार्थ रखा गया। ब्रह्माकुमारीज के अनुसार उनका दस अप्रैल को सुबह दस बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया हैं।

इजरायल के कृषि मंत्री ने देखा पूसा परिसर का कामकाज

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजरायल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री अवि दिख्तर ने मंगलवार को आईएआरआई के कृषि परिसर का कामकाज देखा। केंद्रीय कृषि सचिव और आईसीएआर के प्रभारी महानिदेशक देवेश चतुर्वेदी ने दोनों मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों को पूसा दिल्ली में शुरू किए गए कृषि में भारत-इजरायल उत्कृष्टता के पहले केंद्र और देश के विभिन्न हिस्सों के किसानों और अधिकारियों को प्रदर्शन और प्रशिक्षण के साथ-साथ संरक्षित खेती की तकनीकों को लोकप्रिय बनाने में इसके व्यापक योगदान के बारे में जानकारी दी।

तीन और समूहों ने हुर्रियत से नाता तोड़ा: शाह

श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि तीन और अलगाववादी संगठनों, जम्मू-कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू-कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग तथा कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग करने की घोषणा की है। जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार शाम यहां पहुंचे श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी घोषणा की।

शीर्ष अदालत से ममता सरकार को राहत

■ बंगाल के स्कूलों में अतिरिक्त पद सृजन के फैसले की सीबीआई जांच का आदेश रद्द

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त पद सृजित करने के पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल के फैसले की सीबीआई से जांच कराने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया।

सीजेआई खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि संविधान ने स्पष्ट रूप से न्यायालयों को मंत्रिमंडल के फैसलों और राष्ट्रपति/राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच करने से रोक दिया है। 'अतिरिक्त पद' का तात्पर्य ऐसे अस्थाई पद से है जो किसी ऐसे कर्मचारी को समायोजित करने के लिए बनाया गया है, जो नियमित पद के लिए पात्र है और जो (पद) वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। पीठ ने स्पष्ट किया कि प. बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अन्य पहलुओं की कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित सीबीआई द्वारा जांच की जारी रहेगी।

राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक मुद्दे पर मुर्मू से किया आग्रह

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में हजारों स्कूल शिक्षकों के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद अपनी नौकरी खो देने संबंधी मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। श्री गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पत्र की प्रति जारी करते हुए लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल में हजारों स्कूल शिक्षकों के मामले में आपसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं, जिन्होंने न्यायपालिका द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के कारण अपनी नौकरी खो दी है।

मुर्मू को पुर्तगाल ने दिया 'सिटी की ऑफ ऑनर' सम्मान

नई दिल्ली। पुर्तगाल की यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के मेयर ने लिस्बन शहर का 'सिटी की ऑफ ऑनर' सम्मान प्रदान किया है। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार श्रीमती मुर्मू को लिस्बन के सिटी हॉल में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर मेयर और लिस्बन के लोगों को इस सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लिस्बन खुले विचारों, लोगों की गर्मजोशी और अपनी संस्कृति के साथ-साथ सहिष्णुता तथा विविधता के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि

लिस्बन एक वैश्विक शहर है जो तकनीकी परिवर्तन, नवाचार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल बदलाव के मामले में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में भारत और पुर्तगाल आगे भी सहयोग कर सकते हैं।

सम्भल हिंसा मामले में सांसद जियाउर्रहमान बर्क से पूछताछ

सम्भल। उप्र के सम्भल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में भीड़ को उकसाने के मामले में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने मंगलवार को सांसद जियाउर्रहमान बर्क से पूछताछ की। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पिछले साल 24 नवम्बर को सम्भल में हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी तथा कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने हिंसा के मामले में सम्भल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के विरुद्ध भी रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में जांच के दौरान बीते माह जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जफर अली एडवोकेट ने भी पूछताछ के दौरान मामले में जियाउर्रहमान बर्क के नाम का खुलासा किया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए जियाउर्रहमान बर्क को दिल्ली जाकर एक नोटिस दिया था, जिसमें उन्हें मंगलवार को तलब किया गया था। नोटिस पर कोतवाली जाने से पहले जियाउर्रहमान बर्क ने अपने आवास पर कहा कि वह कानून का सम्मान करते हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। कोतवाली में सीओ कुलदीप कुमार एवं विवेचन आदि जियाउर्रहमान बर्क से पूछताछ कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्यपालों के लिए आईना

गैर भाजपा शासित राज्यों में आ रहे विवाद सामने, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय

समीउल्लाह

■ तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर

बिजनौर। तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए अहम फैसले ने गैर भाजपा शासित राज्यों के उन राज्यपालों को आईना दिखाया है, जो केन्द्र सरकार के इशारों पर इन सरकारों को परेशान करते हुए उनके विधेयकों को लम्बित रखते हैं।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के वर्ष 2023 में विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखने के फैसले को मंगलवार को अवैध, गलत और त्रुटिपूर्ण घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने राज्यपाल आरएन रवि द्वारा की गई उन सभी कार्रवाईयों को खारिज करने का फैसला सुनाया। पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल संविधान के तहत 'पॉकेट वीटो' या पूर्ण वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो की अवधारणा की संविधान में जगह नहीं है। जितनी जल्दी हो सके, इन विधेयकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब है कि राज्यपाल को विधेयकों को अपने पास लेकर बैठे रहने की अनुमति नहीं है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए फैसला सुनाया और कहा कि दस विधेयक राज्यपाल के समक्ष दोबारा पेश किए जाने की तारीख से ही स्पष्ट माने जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल द्वारा स्वीकृति रोके जाने के बाद उन्हें अनुच्छेद 200 के प्रथम प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल विधेयकों को अपने पास रख कर पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। राज्यपाल के लिए स्वीकृति रोके जाने की घोषणा करने की कोई -शेष पृष्ठ दो पर

26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय

■ वित्त मंत्रालय ने कहा: यह आरआरबी के विलय का चौथा चरण

नई दिल्ली। सरकार ने 'एक राज्य एक आरआरबी' के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय को अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यहां कहा कि यह आरआरबी के विलय का चौथा चरण है।

विगत में विलय के कारण आरआरबी की कार्यकुशलता में सुधार को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए नवम्बर-2024 में एक विलय योजना शुरू की थी। हितधारकों के परामर्श के बाद, 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 आरआरबी का विलय किया गया है, जिसका प्राथमिक ध्यान पैमाने की कार्यकुशलता में सुधार और लागत युक्तिकरण पर है। वर्तमान में, 26 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 43 आरआरबी काम कर रहे हैं। विलय के बाद, 26 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबी होंगे, जिनकी 700 जिलों में 22000 से अधिक शाखाएं होंगी।

प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं: अखिलेश

जौनपुर, वार्ता

■ पुलिस ही पुलिस को कर रही गिरफ्तार, फर्जी मुकदमे लिखकर वसूले जा रहे पैसे

सपा सुप्रीमोअखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसी भी मोर्चे पर ठीक से काम नहीं कर रही है। प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस ही पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। अखिलेश यादव ने पुलिस हिरासत में पुजारी यादव की मौत, मंगेश यादव एनकाउंटर समेत कई उदाहरण देकर सरकार पर निशाना साधा। सपा नेता ने वाराणसी में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को दुखद बताया है।

कन्नौज सांसद अखिलेश यादव जौनपुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सरजूदेई के दिवंगत पति धर्मराज यादव को श्रद्धांजलि देने आए थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। योगी को वीवो का मोबाइल दे दो, तो वह चला नहीं पाएंगे। उन्हें आईफोन दे दो, तो दीवार पर पटक कर तोड़ देंगे।

अखिलेश यादव ने इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया और कहा कि सपा उन लोगों के साथ है, जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार पर फटकार पर कहा कि जो हम लोग कहते थे, वह सुप्रीम कोर्ट का रहा है, प्रदेश में फर्जी मुकदमे लिखा जा रहे हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं।

गाजियाबाद के विधायक पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में पार्टी के विधायक तक सुरक्षित नहीं है। कुर्ते फाड़ दिए जा रहे हैं और विधायक जी आज अभी भी फटे कुर्ते पहनकर टहल रहे हैं। इस सरकार में पुलिस ही पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। पुलिस ही पुलिस को गिरफ्तार कर रही है और पुलिस पुलिस को ढूंढ रही है।

भाकियू नेता समेत तीन की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के हथगाम क्षेत्र में मंगलवार सुबह वर्चस्व को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) टिकैत के जिला उपाध्यक्ष और उनके भाई व बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात उस समय हुई, जब मृतक एक ही मोटर साइकिल से खेत से अपने गांव वापस आ रहे थे। हमलावर ट्रैक्टर में सवार थे। विरोध स्वरूप अभी तक शवों को पुलिस घटनास्थल से उठा नहीं पा रही है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हत्यारों की गिरफ्तारी तक शवों को न उठने देने की घोषणा की है। घटनास्थल पर पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज जोन प्रेम गौतम भारी फोर्स के साथ मौजूद है। पुलिस महानिरीक्षक प्रेम गौतम ने बताया कि क्षेत्र के ग्राम लवरी निवासी भाकियू के जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह उर्फ पप्पू सिंह (55) अपने छोटे भाई पिंकू सिंह (50) और पुत्र अभय सिंह (22) के साथ एक ही मोटर साइकिल से अपने खेत से गांव अखरी से वापस आ रहे थे कि तभी तहिरापुर के पास ट्रैक्टर सवारों ने उनका रास्ता रोका और ताबड़तोड़ फायलरग की जिससे घटनास्थल पर ही तीनों की मृत्यु हो गई। मृतक की मां शिव दुलारी सिंह वर्तमान में प्रधान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान इसी क्षेत्र के रहने वाले है। मृतक और हमलावर दोनों क्षत्रिय बिरादरी के हैं।

शेयर बाजार ने लगाई डेढ़ फीसदी की छलांग

मुंबई, वार्ता

■ निवेशकों की स्थानीय स्तर पर हुई भारी बिकवाली से सोमवार को शेयर बाजार में सुनामी आ गई थी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर नरम रुख के संकेत से विश्व बाजार में आई तेजी से उत्साहित निवेशकों की स्थानीय स्तर पर हुई चौतरफ लिवाली से मंगलवार को शेयर बाजार ने करवट बदली और बीते दिन की भारी बिकवाली की सुनामी से उबरकर करीब डेढ़ फीसदी तक की छलांग लगाई।

बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1089.18 अंक अर्थात 1.49 प्रतिशत की जबरदस्त तेजी के साथ 74,227.08 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 374.25 अंक यानी 1.69 प्रतिशत उछलकर 22535.85 अंक पर बंद हुआ। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लागू करने और चीन की जवाबी कार्रवाई से वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध गहराने और अमेरिका में मंदी की आशंका में विश्व बाजार की गिरावट से घबराए निवेशकों की स्थानीय स्तर पर हुई भारी बिकवाली से सोमवार को शेयर बाजार में सुनामी आ गई। सेंसेक्स पिछले दस महीने की सबसे बड़ी 2226.79 अंक की एकदिनी गिरावट लेकर 73,137.90 अंक और निफ्टी 742.85 अंक का गोता लगाकर 22161.60 अंक पर रहा था। बीएसई की दिग्गज कंपनियों की तरह मझौली और छोटी कंपनियों के शेयरों में भी मंगलवार को जमकर लिवाली हुई, जिससे मिडकैप 1.87 प्रतिशत की मजबूती के साथ 39,837.44 अंक और स्मॉलकैप 2.18 प्रतिशत की छलांग लगाकर 44,932.42 अंक हो गया। इस दौरान बीएसई में कुल 4083 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 3093 में तेजी जबकि 871 में गिरावट रही, वहीं 119 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह एनएसई में कुल 2957 कंपनियों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2391 में लिवाली जबकि 499 में बिकवाली हुई, वहीं 67 में टिकाव रहा। बाजार विश्लेषकों के अनुसार भारतीय शेयर बाजारों में हालिया उछाल उस समय देखने को मिला, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया कि जापान बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन भेजेगा। इस बयान ने निवेशकों के बीच यह उम्मीद जगाई कि अमेरिका अपने टैरिफ नीति पर नरमी दिखा सकता है। इससे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता के बावजूद भारतीय बाजारों को एक सकारात्मक पुश मिला। वहीं ट्रंप ने चीन को लेकर सख्त रुख बनाए रखा और यह चेतावनी दी कि यदि बीलजग अपने जवाबी टैरिफ को जारी रखता है, तो अमेरिका चीनी आयात पर 50 प्रतिशत तक का अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है। इस धमकी ने बाजार में आशावाद की सीमाओं को रेखांकित कर दिया और निवेशकों को सतर्क कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में पहले से ही भारी बिकवाली हो चुकी थी, जिससे रिकवरी की संभावना बनी हुई थी।

संक्षिप्त समाचार

अपराधियों के गठजोड़ से चल रही है राजग सरकार: तेजस्वी

पटना। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में अपराधियों के गठजोड़ से सरकार चल रही है। याादव ने मंगलवार को बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनन सरकार अपराधियों के गठजोड़ से चल रही है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने इसको लेकर क्राइम बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन में तेजस्वी ने बिहार में अलग-अलग अपराध की 117 की घटनाओं का जिक्र किया है। नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, भाजपा-नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ से संचालित राजग सरकार में घटित पिछले कुछ दिनों की केवल और केवल चंद आपराधिक घटनाएं गिनिए। इसके बाद उन्होंने 117 आपराधिक घटनाओं का विवरण दिया है। इससे पूर्व यादव ने सोमवार को भी प्रदेश की नीतीश सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, बिहार की बदहाल विधि व्यवस्था एवं अचेत सरकार के कारण अब आम बिहारी का घर में रहना में मुश्किल होता जा रहा है।

भगवा झंडा फहराने में दरोगा और दो कांस्टेबल सस्पेंड

प्रयागराज। जनपद के गंगानगर में एक मजार पर भगवा झंडा फहराने की घटना के बाद पुलिस ने तीन पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस उपायुक्त (गंगानगर) पुष्कर्म वर्मा की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उपायुक्त (गंगानगर) कुलदीप सिंह गुनावत ने बहरिया चौकी प्रभारी रवि कटियार, कांस्टेबल अंशु कुमार और कांस्टेबल सुनील कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत के अनुसार रविवार को रामनवमी के मौके पर कुछ युवक सिकंदरा स्थित गाजी मियां की दरगाह के द्वार पर धार्मिक झंडा लहराते हुए नारेबाजी कर रहे थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तीन नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

अहमदाबाद: कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बोले खड़गे

सरदार पटेल की सोच कांग्रेस की विरासत

अहमदाबाद, वार्ता

■ पटेल ने आरएसएस पर बेन लगाया और दुनिया भर में कांग्रेस का नाम रोशन किया था

■ साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ कर बुनियादी मुद्दों से हटाया जा रहा ध्यान

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में कहा है कि सरदार वल्लभभाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंधों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही दुष्प्रचार का प्रयास कर रही है, लेकिन सच यह है कि दोनों की सोच एक थी और इसी के परिणामस्वरूप सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया और दुनिया भर में कांग्रेस का नाम रोशन किया।

खड़गे ने मंगलवार को यहां शाहीबाग में सरदार पटेल स्मारक परिसर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के लिए बने विशाल सभागार में अधिवेशन की पहले दिन आज पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की विस्तारित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़कर देश के बुनियादी मसलों से ध्यान भटकाने का आज काम हो रहा है और सीमित लोगों द्वारा देश के संसाधनों पर कब्ज़ा करते हुए शासन को नियंत्रित करने का काम हो रहा है। उनका कहना था कि सरदार पटेल कांग्रेस की विरासत है और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात की धरती पर पैदा हुई तीन महान हस्तियों ने कांग्रेस का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। इनमें दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ए सभी हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। गांधी जी ने हमें अन्याय के खिलाफ सत्य और अलहसा का हथियार दिया। ए इतना मजबूत वैचारिक हथियार है कि इसके सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। गांधीजी के नेतृत्व में चम्पारण सत्याग्रह सफल रहा और उसने गांव-गांव में कांग्रेस की जड़ों को जमाने में ठीक वैसे ही मदद की जैसे गुजरात में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह चला। खड़गे ने कहा कि इस साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेलज की 150वीं जयंती है जिसे हम देश भर में उल्लास से मनाएंगे। पंडित नेहरू उन्हें 'भारत की एकता का संस्थापक' कहते थे। जब सरदार पटेल कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो उनके नेतृत्व में कराची कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर जो प्रस्ताव पारित हुए वह भारतीय संविधान की आत्मा है। सरदार पटेल संविधान सभा की महत्वपूर्ण मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा आदिवासी एरिया समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से कई राष्ट्रीय नायकों को लेकर एक सोचा समझा षड्यंत्र चलाया जा रहा है और 140 सालों से देश में सेवा और संघर्ष के गौरवशाली इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वातावरण बनाने का काम वे लोग कर रहे हैं, जिनके पास अपनी उपलब्धियां दिखाने को कुछ भी नहीं है। आजादी को लड़ाई में अपना योगदान बताने को कुछ भी नहीं है। वे सरदार पटेल और पंडित नेहरू के संबंधों को ऐसा दिखाने का षडयंत्र करते हैं जैसे दोनों नायक एक दूसरे के खिलाफ थे। जबकि सच्चाई ए है कि वो एक सिक्के के दो पहलू थे। तमाम घटनाएं और दस्तावेज इनके मधुर संबंधों की गवाह हैं। नेहरू और पटेल के बीच रिश्ते पब्लिक रिकॉर्ड में होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों के बीच लगभग रोज़पत्र-व्यवहार होता था। नेहरूजी तमाम विषयों में उनकी सलाह लेते थे। पटेल साहब के प्रति नेहरूजी के मन में अपार आदर था। उनको कुछ सलाह लेनी होती, तो वे खुद पटेलजी के घर जाते थे। पटेल जी की सुविधा के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठकें उनके निवास पर रखी जाती थीं। डा. अम्बेडकर ने खुद 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में कहा था कि कांग्रेस पार्टी के सहयोग के बिना संविधान नहीं बन सकता था, लेकिन जब संविधान बना, तो आरएसएस ने गांधी जी, पंडित नेहरु, डा. अम्बेडकर और कांग्रेस की बहुत आलोचना की।

कांग्रेस अधिवेशन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा शुरू

अहमदाबाद। कांग्रेस में बड़े बदलाव की उम्मीद से आयोजित कांग्रेस का दो दिन चलने वाला गुजरात अधिवेशन मंगलवार को यहां शाहीबाग, सरदार पटेल स्मारक में शुरू हो गया, जिसमें पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की विस्तारित बैठक में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां सरदार पटेल स्मारक हॉल के सामने बने विशाल पंडाल में भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों से निपटने और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के मुद्दे पर विचार- विमर्श कर रहे हैं। पार्टी के बेलगांव सम्मेलन के बाद उसके प्रस्तावों को इस अधिवेशन के जरिए आगे बढ़ाने की नीति पर विचार होगा। कांग्रेस 2025 को पार्टी में सुधार लाने के लिए काम कर रही है और इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस सम्मेलन के दौरान पार्टी के जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जाएगा।

वक्फ कानून का विरोध

अब्बास रजा ने सुभासपा से नाता तोड़ा

शाह टाइम्स संवाददाता

बरेली। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुभासपा के प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अब्बास राजा ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने पत्र लिखते हुए कहा कि अब्बास रज़ा सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रमुख महासचिव बरेली मंडल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ साथ साथ पार्टी की सक्रिय सदस्यता से पूर्णरूपेण तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं।

उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जो कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण व पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है उनके द्वारा दिए गए बयानों से आहत होकर एवं पार्टी द्वारा लगातार बयानों में मुस्लिम विरोधी नीतियों एवं हमारे धर्मिक इसतल इमामबाड़ो पर दिए गए बयानों से आहत हू और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आगाह भी करना चाहता हू कि इनकी नियत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कदापि हितकारी नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी मांग करता हुए कहा कि इनसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय वापस लिया जाए क्यूंकि इनकी दृष्टि सबका साथ सबका विकास की नीति न होकर सिर्फ और सिर्फ अपने समाज विशेष के उद्धार के लिए है जो प्रदेश के लिए अहितकारी है। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच के साथ राजनीति करना अपने जमीर को मारने जैसा है इसलिए सभी पदों से इस्तीफा देते हुए समाज का सेवक बनकर समाज की सेवा करता रहूंगा।

अर्थ व्यापार

दस वर्षों में 33.65 लाख करोड़ के मुद्रा ऋण दिए

नई दिल्ली, वार्ता

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रति छोटे और लघु उद्यमियों का विश्वास बढ़ा है, जिससे पिछले 10 वर्षों में 52.37 करोड़ खातों के माध्यम से 33.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक के मुद्रा ऋण दिए गए है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ किया था। मुद्रा योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि आय अर्जित करने वाली गतिविधियों के लिए आसानी से और बिना किसी जमानत के 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। पहले यह ऋण सीमा 10 लाख रुपए थी, जिसको 24 अक्टूबर 2024 को बढ़कार 20 लाख रुपए कर दी गई। ए ऋण बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी), एमएफआई और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत तरुण प्लस के नाम से नई ऋण श्रेणी की घोषणा की गई है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुका दिया है। इससे उन्हें 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच फंडिंग प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त, माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) अब इन बढ़े हुए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। यह भारत में उद्यमशीलता के लिए तंत्र को पोषित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। बड़े उद्योगों के पूरक के तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहायक इकाइयों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश के समावेशी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये उद्यम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का लगातार विस्तार कर रहे हैं और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की विविधतापूर्ण श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। मुद्रा योजना एक उल्लेखनीय सरकारी पहल है, जो एमएसएमई को ऋण प्राप्त करने में सहयोग करती है।

मुद्रा योजना व्यापारी समुदाय के लिए गेम चेंजर: खंडेलवाल

नई दिल्ली। खुदरा कारोबारियों का संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को व्यापारी समुदाय के लिए 'गेम चेंजर' बताया और कहा कि यह योजना पिछले दस वर्षों में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। खंडेलवाल ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना पिछले दस वर्षों में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री ने बताया कि शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में बिना गारंटी ऋण देकर इस योजना ने लाखों सूक्ष्म और लघु व्यापारों को मजबूती दी है। इससे व्यापार विस्तार, बुनियादी ढांचा विकास और कार्यशील पूंजी के लिए बड़ी मदद मिली है।

खाद्य तेल समेत सभी जिंसों में टिकाव रहा

नई दिल्ली, वार्ता

विदेशी बाजार के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर मांग सुस्त रहने से मंगलवार को दिल्ली थोक जिंस बाजार में खाद्य तेल समेत सभी जिंसों में टिकाव रहा। तेल-तिलहन: वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का अप्रैल वायदा 27 रिंगिट फिसलकर 4535 रिंगिट प्रति टन पर आ गया। वहीं अप्रैल का अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.04 सेंट की बढ़त के साथ 45.19 सेंट प्रति पौंड बोला गया। इस दौरान घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में टिकाव रहा। सरसों तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी तेल, सोया रिफाइंड, पाम ऑयल और वनस्पति तेल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। गुड़-चीनी : मीठे के बाजार में स्थिरता रही। इस दौरान चीनी और गुड़ के भाव पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर टिके रहे। दाल-दलहन: दाल-दलहन के बाजार में टिकाव रहा। इस दौरान चना, दाल चना, मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और अरहर दाल के भाव पिछले दिवस के स्तर पर स्थिर रहे। अनाज: अनाज मंडी में भाव स्थिर रहे। इस दौरान गेहूं और चावल के दाम पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर टिके रहे। सरकारी वेबसाइट पर जारी खाद्यान्नों के थोक दाम इस प्रकार रहे:- दाल-दलहन: चना 5550-5650, दाल चना 6550- 6650, मसूर काली 7400-7500, मूंग दाल 9550-9650, उड़द दाल 8950-9050, अरहर दाल 8400- 8500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। अनाज : (भाव प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2950-3050 रुपए और चावल 3150-3250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चीनी-गुड़: चीनी एस. 4280-4380, चीनी एम. 4400-4500, मिल डिलीवरी 3620-3720 और गुड़ 4250-4350 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए।

आतंकी पासिया ने कराया था बीजेपी नेता के घर में विस्फोट

जालंधर। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर हुए ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी आतंकी हैप्पी पासिया ने ली है। पासिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हमले की जानकारी ली है। इस आतंकी पर एनआईए ने 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। इस मामले में पुलिस ने लॉरेंस के 2 करीबियों को भी गिरफ्तार किया है। आतंकी हैप्पी पासिया खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा कमांडर है। वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भरोसेमंद के साथ भी काम कर चुका है।

प्रथम पृष्ठ के शेष...

सुप्रीम कोर्ट का... गुंजाइश नहीं है। अहम बात यह है कि देश में जहां-जहां गैर भाजपाई दलों की सरकारें हैं, वहां-वहां राज्यपालों व सरकार के बीच टकराव के हालात देखे गए हैं। राज्यपाल प्रदेशों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तहत संवैधानिक व्यवस्था में काम करते हैं। लेकिन देखने में आया है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों की भूमिका विवादों में रही है। जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब तक उप राज्यपाल एवं दिल्ली सरकार के बीच किसी न किसी मुद्दे पर टकराव के हालात बने रहे। पंजाब में भी इसी तरह के हालात समय-समय पर सामने आते रहे हैं। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर ऐसा कोई विवाद कभी भी सामने नहीं आया। आखिरकार इसकी वजह क्या हो सकती है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि केन्द्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के लिए परेशानी खड़ी करती रहती है। सुप्रीम कोर्ट पूर्व में भी राज्यपालों की भूमिका को लेकर अहम फैसला सुना चुका है। दिल्ली के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केन्द्र सरकार ने सीधा दखल देते हुए उप राज्यपाल को अधिक अधिकार दे दिए थे। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह चिंता का विषय है। लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने एवं उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने से रोकने की बढ़ती प्रवृत्ति किसी भी स्थिति में देश व प्रदेशों के लिए बेहतर नहीं मानी जा सकती हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए प्रदेश सरकारों को कार्य करने से रोका जाना संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध है।

भारी मात्रा में ब्राउन शुगर जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने नियमित गश्त के दौरान 1.216 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त की और एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि जिले के बोनियार इलाके में नियमित गश्त और नाका चेकिंग के दौरान ड्रग्स बरामद की गई। उन्होंने बताया कि सोमवार देर रात को बर्नेट बाला, बोनियार में तैनात पुलिस दल ने मौके से भागने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका।

पुलिस के एक बयान में कहा गया, उस व्यक्ति को सूझबूझ से पकड़ लिया गया और प्रारंभिक पूछताछ के बाद, उसने अपनी पहचान बर्नेट, बोनियार के मंज़ूर अहमद मीर के रूप में बताई। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को एक किलो 216 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुआ, जो शायद ब्राउन शुगर है और एक डिजिटल वज़न तौलने वाली मशीन भी बरामद हुई।

महाकौशल एक्सप्रेस से गिरकर यात्री की मौत

यात्रियों ने वसूली का आरोप लगाकर कर किया हंगामा

महोबा, वार्ता

■ निजामुद्दीन से जबलपुर जा रही ट्रेन में हादसा

उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मानिकपुर सेक्सन में महोबा क्षेत्र में सोमवार रात महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार एक यात्री की संदिग्ध रुप से ट्रेन से गिर कर मौत हो गई, जिसके बाद सह यात्रियों ने पुलिस और रेलवे कर्मचारी पर वसूली और यात्री को धक्का देने का आरोप लगा कर हंगामा किया।

ट्रेन में सवार यात्रियों ने घटना के लिए रेलवे पुलिस स्काट पर अवैध वसूली के चलते यात्री को ट्रेन से धक्का देकर मार डालने का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा है। करीब दो घंटे तक हुए बवाल के बाद उच्च अधिकारियों ने प्रकरण में जांच ओर कार्यवाही का आश्वासन देकर यात्रियों को शांत करके ट्रेन को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक हजरत निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर जा रही महाकौशल एक्सप्रेस में यह घटना मध्य रात्रि में हरपालपुर व घुटई स्टेशनो के बीच हुई। बताया गया है कि उस वक्त टीसी द्वारा पुलिस एसकार्ट के साथ आरक्षित बोगी में यात्रियों के टिकट चेक किए जा रहे थे। इस दौरान एक यात्री के बिना टिकट पकड़े जाने पर उससे विवाद हुआ। पुलिस जवानो से हुई खींचतान में यात्री तेज रफ्तार में दौड़ रही ट्रेन के गेट से नीचे गिर गया। इस घटना को देख बोगी में सवार अन्य यात्री भड़क गए। उन्होंने हो हल्ला करते हुए ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग की कोशिश की। आरोप है कि रेल स्टाफ ओर पुलिस के चलते वह गाड़ी रोकने में सफल नहीं हुए। राजकीय रेलवे पुलिस ने बताया कि महोबा जंक्शन में ट्रेन के रुकने पर रेल यात्रियों ने गाड़ी से नीचे उतर कर स्टेशन में जमकर हंगामा काटा। उन्होंने टीसी ओर पुलिस स्काट के जवान को सम्बन्धित यात्री की मौत का जिम्मेवार ठहराते उनके खिलाफ कड़ी घनूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की। यात्रियों के हंगामे के कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। घटना की सूचना पाकर जिले के आला अधिकारियों ने तत्काल मोके पर पहुंच यात्रियों को समझा बुझा कर शांत किया और ट्रेन को आगे अपने गंतव्य के लिए रवाना किया। मृतक की तत्काल शिनाख्त नहीं की जा सकी है। मामले की सूचना मिलने पर महोबा पहुंचे जीआरपी झांसी के पुलिस उप अधीक्षक नईम खान मंसूरी ने कहा कि यात्री की मौत को लेकर रेलवे पुलिस पर लगे आरोपों को गंभीरता से लिया गया है, जिसके चलते घटना की सघनता से जांच कराई जा रही है।

शाह टाइम्स क्लासीफाईड्स Sale

स्त्री के सामने लज्जित होने से बेहतर है
आज ही इलाज करा लेना खोई हुई मर्दाना ताकत दोबारा प्राप्त करने के लिए आज ही मिलें या फोन करें।
काज़ीज़ादा, अमरोहा-UP
हाशमी दवाखाना
9997161320, 8272800800

काम कोर्स उदास क्यों?
अधिक संतुष्टि, हैरतअंगेज़ पावर, शीघ्रपतन, नपुसकता, बचपन की गलतियों से हमेशा के लिए छुटकारा।
फोन कर घर बैठे औषधियां डाक द्वारा प्राप्त करें।
ऋषि इन्टरनेशनल
08899787114
09808917010

Cipzer
— HEALTH WITH CARE —
हैल्थ प्लस सिरप

खून की कमी, भूख ना लगना, विटामिन व हार्मोन्स की कमी, शारीरिक दुर्बलता, गर्भवती महिला, दूध का कम बनना, लीवर व पेट की समस्याओं में उपयोगी
प्रमुख मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध।
86 8484 5757 info@cipzer.com

वैधानिक सूचना
पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार में प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें तथा उचित सलाह ले लें। कोई भी अभिदाता जो इस अखबार में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के संदर्भ में कोई राशि भेजता है, किसी चिकित्सीय सलाह पर कोई कार्यवाही या खर्च करता है या कोई वचन देता है, तो ऐसा वह स्वविवेक, बुद्धि तथा जोखिम पर करेंगे। कम्पनी, प्रकाशक या उसका कोई कर्मचारी विज्ञापनदाता या उसके किसी उत्पाद या सेवा हेतु किये गये किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन नहीं देते तथा ऐसे विज्ञापनों विश्वास करके किसी व्यक्ति को हुई क्षति, हानि परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

वेब शुगर मिल में घुसकर बदमाशों ने मचाया तांडव

शीशे तोड़े, बंद कराया मिल, ब्लैकमेलिंग करने जैसे लगाए गंभीर आरोप

शाह टाइम्स संवाददाता

बछरायूं। वेव शुगर मिल मलेशिया में लाठी डंडे लेकर घुसे बदमाशों ने परिसर में तोड़फोड़ करते हुए फैक्ट्री की पेराई को जबरदस्ती बंद करा दिया। इससे प्रबंधन को करीब 89 लाख का नुकसान हुआ है। आरोप है की घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण हैं फैक्ट्री परिसर में रहने वाले परिवार डरे सहमे हुए हैं। मामले में एसपी के आदेश पर मिल के सुरक्षा महाप्रबंधक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया हैं।

आरोप हैं कि बीती आठ फरवरी को मिल के पास गांव मलेशिया निवासी एक युवक की गन्ना लदे ट्रक से टक्कर के बाद मौत हो गयी थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने मिल के गेट को जाकर बंद कर दिया और मृतक का शव गेट के बाहर रख दिया। जबकि कुछ बदमाश लाठी डंडे लेकर फैक्ट्री के अंदर घुस गए और फैक्ट्री को बंद करने की धमकी देने लगे उन्होंने दफ्तरों की खिड़कियां और शीशे भी तोड़ दिए। बदमाशों के समूह ने प्रबंधन के सामने अनुचित ब्लैकमेलिंग और आर्म मरोड़ने जैसी मांग रखी। मिल प्रबंधन ने पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रयास कर गेट तो खुलवा लिया। बदमाशों द्वारा फैक्ट्री में मचाए गए उत्पात की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात्रि शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों ने फैक्ट्री बंद करने से इनकार किया तो बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दे दी। उन्होंने 20 घंटे के लिए कारखाने को जबरन बंद कर दिया। जिससे लगभग 89 लाख रुपए का भारी नुकसान भी हुआ है। इस बीच बदमाशों ने लाउडस्पीकर से अवध शब्दों का प्रयोग करते हुए बाहर निकालो जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण है और अप्रिय घटना की आशंका हैं। इतना ही नहीं फैक्ट्री परिसर में रहने वाले परिवार भी अपने आप को ऐसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं महिलाएं बाजारों में जाने से परहेज कर रही है और बच्चे बाहर निकलने में डर रहे हैं। जबकि कुछ कर्मचारी तो अपने परिवारों को कारखाने से दूर भेजने की योजना बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में कारखाने को सुचारू रूप से चलाना बहुत मुश्किल है। मिल के सुरक्षा महाप्रबंधक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सीओ स्वेताभ भास्कर ने बताया मिल के सुरक्षा महाप्रबंधक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है मामले में जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

- **बीस घंटे मिल बंद होने से 89 लाख का नुकसान**
- **नौ फरवरी को सड़क हादसे में हुई थी युवक की मौत**

मंडी धनौरा। श्रीराम जन्मोत्सव पर भजन प्रस्तुत करतीं कलाकार।

दहेज में नकदी व बाइक के लिए विवाहिता का उत्पीड़न

एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज

शाह टाइम्स संवाददाता

मंडी धनौरा। दहेज में एक लाख की नगदी और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया। घटना के बाद थाना पुलिस ने भी पीड़िता की सुनवाई नहीं की तो एसपी से न्याय की गुहार लगाई। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने एसपी के आदेश पर पति समेत अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध मुक. दमा दर्ज किया है।

नगर के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी सुरभी का आरोप है कि पांच साल पहले उसकी शादी जिला बिजनौर, थाना चांदपुर के गांव भमरोला निवासी नीटू के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही विवाहिता का पति व ससुराल वाले दहेज की मांग के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया। 27 मार्च को विवाहिता के पति नीटू, जेठ गिरीश, सतवीर, जेठानी रूबी, कस्बे में मायके में आ गए गाली गलौज करते हुए दहेज की मांग को लेकर मारपीट शुरू कर दी। विवाहिता की माँ से भी मारपीट की गई। शोर सुनकर आसपास के लोग आये उन्होंने बचाया। घटना के बाद पीड़िता रिपोर्ट लगाने थाने गई लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की तो पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। मामले में एसपी के आदेश पर पुलिस ने मुक. दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।

खेतान वर्ल्ड स्कूल में 'ओरिएंटेशन डे' आयोजित

शाह टाइम्स संवाददाता,

गजरौला। नगर के खेतान वर्ल्ड स्कूल द्वारा ओरिएंटेशन डे का आयोजन करके सभी नए अभिभावकों का स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में केसी ग्रुप के चेयरमैन अनिरुद्ध खेतान के संदेश को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने सभी अभिभावकों का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि खेतान वर्ल्ड स्कूल में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा को पहचानकर उसे सही दिशा में विकसित किया जाएगा। यह विद्यालय सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चे की संभावनाओं को साकार करने का मंच है। विद्यालय के चेयरमैन सर्वेन्द्र सिंह ने कहा कि, यह कार्यक्रम न केवल आगामी शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत है, बल्कि स्कूल और अभिभावकों के बीच विश्वास और सहयोग की एक नई नींव भी है। उन्होंने अभिभावकों को आश्वस्त किया कि इस विद्यालय में विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे जिससे वे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँच सकें। कहा कि, 'हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा एक आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक बने, जिसके लिये सतत प्रयासरस रहेंगे।' समारोह को प्रधानाचार्या रंजीता रानी ने भी संबोधित किया और विद्यालय की उपलब्धियों, व्यवस्थाओं व शैक्षणिक व्यवस्थाओं के साथ साथ शिक्षक-शिक्षिकाओं के अनुभव व ज्ञान आदि से भी रूबरू कराया। कहा कि विद्यालय परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है और छात्र शिक्षक अनुपात का बहुत ही विशेष ध्यान रखा गया है। इस दौरान अभिभावकों ने भी अपने प्रश्न रखे, जिनको प्रधानाचार्य व स्टॉफ ने संतोषजनक उत्तर दिए।

- **विद्यालय परिवार ने किया अभिभावकों का स्वागत**

धार्मिक भजनों के साथ राम जन्मोत्सव का समापन

भजन संध्या पर भक्तिमय हुआ माहौल

शाह टाइम्स संवाददाता

मंडी धनौरा। जब भजन गायिका दीपांशी तिवारी ने वीर हनुमान अति बलवान और मनोज शर्मा ने ये चमक ये दमक गाया तो भजन संध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भक्ति में सराबोर होकर झूम उठी। भजनों की प्रस्तुतियों के बीच उन्होंने हिंदुत्व का प्रचार-प्रसार पूरे दम से किया। दोनों भजन गायको ने देर रात भक्ति का तड़का लगाया। मौका था, सोमवार की शाम को श्री राम जानकी मंदिर में आयोजित भजन संध्या का।

श्री राम जानकी भक्त मंडल के तत्वाधान में आयोजित राम प्रकटोत्सव का सोमवार की रात समापन हो गया। विधिवत पूजा-अर्चना के साथ भजन संध्या का श्रीगणेश हुआ। भाजपा विधायक राजीव तरारा, अपर जिलाधिकारी मायाशंकर यादव की मौजूदगी में जब कानपुर से भजन गायिका दीपांशी तिवारी और ग्वालियर के भजन गायक मनोज शर्मा ने प्रवेश किया तो प्रभु श्री राम जय जयकार होने लगी। दीपांशी तिवारी ने हजारों की भीड़ के बीचवीर हनुमाना अति बलवाना, कीजो केसरी के लाल, राम आएंगे तो अंगना सजाऊँगी, धर्म सनातन उत्तम है डंके की चोट पर कहता हूं, भारत का बच्चा-बच्चा जय श्री राम बोलेगा, आएगा मेरा सांवरा, हारे का सहारा श्याम धनी,हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, चंचल मन में उठी तरंग.... और मनोज शर्मा ने मंगल भवन आ मंगलहारी, है कृष्ण गो. विंद हरे मुरारी, अयि गिरि नन्दिनी नन्दिती मेदिनि, ये चमक ये दमक फुलवन में महक, नैनन में श्याम समागयो, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, शिव तांडव श्लोक ज ट ा ट व ी ग ल ज्ज ल प्रवाहपावितस्थले जैसे भजनों की शानदार प्रस्तुतियों के अलावा हिंदुत्व का परचम लहराया। इस दौरान अनिल अग्रवाल पैट्रोल पंप वाले,राहुल अग्रवाल, राखी अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, कुसुमलता गोयल, अक्षय अग्रवाल, सिम्मी अग्रवाल, ज्ञानेंद्र उर्फ कमल अग्रवाल, छत्रपाल, नवीन दीक्षित, नितिन धारीवाल, वीरेश चौधरी, डॉ अवनीश गिल, संजीव दीक्षित, हर्ष भटनागर, यश अग्रवाल, अनिल गुप्ता, सुनील गुप्ता, हरिओम गुप्ता, नितिन धारीवाल, राहुल यादव, सुनील प्रजापति, पारस सिंघल, हर्ष भटनागर, गौरव गोयल, विशाल कौशिक आदि मौजूद रहे।

पूर्व बसपा नेता ने चिकित्सक पर तानी रिवाल्वर

तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। ड्यूटी कर घर लौट रहे चिकित्सक डा. सोहराब को पूर्व बसपा नेता फुरकान अहमद ने अपने दो निजी सुरक्षा गार्डो के साथ मिलकर शहर में घेर लिया। मारपीट के दौरान सुरक्षा गार्डो ने लाइसेंसी राइफल और रिवाल्वर तानते हुए गोली मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं एससी-एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे फंसाकर जेल भिजवाने की भी बात कही। जांच के बाद मामले में पुलिस ने आरोपी पूर्व बसपा नेता व उनके दोनों सुरक्षा गार्ड के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटकुई में स्व. डा.अब्दुल मारूफ का परिवार रहता है। उनके बेटे सोहराब मारूफ भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती नौगावां सादात क्षेत्र स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रही है। शेड्यूल के मुताबिक बीती आठ मार्च को डा.सोहराब मारूफ की ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस पर थी। शाम में वह अपनी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे। जब वह मोहल्ला बटवाल स्थित अपने एक दोस्त की दुकान पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद नौगावां सादात क्षेत्र के गांव सैदपुर इम्मा निवासी पूर्व बसपा नेता फुरकान अहमद ने घेर लिया। गाली-गलौज करते हुए अचानक ही मारपीट शुरू कर दी। अचानक किए गए हमले को लेकर डा.सोहराब ने विरोध जताया तो फुरकान अहमद ने अपने प्राईवेट सुरक्षा गार्ड कपिल और उसके साथी को भी बुला लिया। दोनों राइफल और लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर पहुंचे और फुरकान अहमद के साथ मिलकर डा.सोहराब के साथ मारपीट की। कंधे और सीने पर रिवाल्वर की बट से वार किए। इतना ही नहीं राइफल और रिवाल्वर सामने तानते हुए जान से मारने की धमकी दी। स्थानीय लोगों ने बमुश्किली डा.सोहराब को बचाया। बाद में आरोपी एससी-एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे फसाने की धमकी देते हुए चले गए। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि मामले में मुक. दमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब है कि इसी मामले में शिकायत के बाद बसपा जिलाध्यक्ष सोमपाल सिंह ने फुरकान अहमद को पार्टी से निष्कासित किया था।

22 को कलेक्ट्रेट पर पेंशनर्स का धरना

अमरोहा। पेंशनर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि वित्त विधेयक के विरोध में 22 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा। अमरोहा ग्रीन कालोनी स्थित राजेन्द्र राणा के आवास पर पेंशनर्स की बैठक हुई। जिसमें वक्ताओं ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से उन्हें बाहर करने का प्रयास किया गया है। जिसके विरोध में 22 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पेंशनर्स काले कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में अनूप सिंह पैसल, शिशुपाल सिंह, शिवेन्द्र सिंह चिकारा, ज्ञानेन्द्र सिंह त्यागी, मायाराम, अनिल माहेश्वरी, सोमदत्त सिंह, मौजूद रहे।

भाजपा नेता से मारपीट में कई पर रिपोर्ट

अन्तिम संस्कार में शामिल होने गए थे

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। भाजपा नेता के साथ मारपीट के मामले में दो नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुक. दमा दर्ज कराया गया है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अहमदनगर में रामचंद्र का परिवार रहता है। उनके बेटे विनोद कुमार मौर्य भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हैं। बीती पांच अप्रैल की दोपहर में विनोद कुमार मौर्य मोहल्ला बेगम सराय में रहने वाले परिचित सुधीर सहदेव के भाई सुदेश सहदेव के अंतिम संस्कार में शामिल होने अमरोहा रेलवे स्टेशन स्थित शमशान घाट पर गए थे। उनका आरा. ेप है कि वहां मौजूद नीरज कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। विवाद बढ़ता देख लोगों ने बमुश्किल उन्हें बचाया। मामले में पीड़ित विनोद कुमार मौर्य ने अमरोहा देहात थाने में नीरज व अतुल समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब उनके भाई रवि का आरोप है कि सोमवार रात करीब 11:30 बजे विनोद कुमार मौर्य आजाद मार्ग स्थित हिन्दू इंटर कॉलेज अमरोहा की तरफ से घर लौट रहे थे। रास्ते में घात लगाए बैठे मोहल्ला बड़ी बेगम सराय के रहने वाले सफाई कर्मचारी नीरज ने अपने दो भतीजे के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड और धारदार हथियार से एक के बाद एक कई वार किए। हमले में गंभीर घायल विनोद कुमार मौर्य लहूलुहान होकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। परिजनों का आरोप है कि नीरज जिपं में सफाई कर्मी है, जो इस समय निलंबित चल रहा है। इसी वजह से नीरज की विनोद कुमार मौर्य से रंजिश चल रही है। सीओ सिटी अरुण कुमार सिंह ने मामले में आरो. पियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही।

ट्यूबवैल की छत से गिरकर एकाउंटेंट की मौत

फसल की सिंचाई करने गए थे खेत पर

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। गेहूं की फसल की सिंचाई करते समय ट्यूबवेल की छत पर सो रहे सहकारी समिति के एकाउंटेंट गिरकर घायल हो गए। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव जमना खास में स्व.सत्य प्रकाश त्यागी का परिवार रहता है। उनके 48 वर्षीय बेटे विवेक कुमार त्यागी गांव में संचालित सहकारी समिति में एकाउंटेंट थे। परिवार में पत्नी सोनी के अलावा दो बेटी और एक बेटा है। परिजनों के मुताबिक पांच अप्रैल की रात विवेक कुमार त्यागी गेहूं की फसल की सिंचाई करने के लिए खेत पर गए थे। पानी चलाने के बाद वह ट्यूबवेल के लिए बनी कोठरी की छत पर सो गए। गहरी नींद में आंख खुलने के बाद वह कोठरी की छत से नीचे गिरकर घायल हो गए। परिजनों ने तुरंत ही उन्हें मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलने पर मुरादाबाद पुलिस अस्पताल पहुंच गई। परिजनों से घटना की जानक. ारी लेते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

रैली निकालकर महिलाओं को किया जागरुक

डीएम ने झंडी दिखाकर किया रवाना

शाह टाइम्स ब्यूरो अमरोहा। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने पोषण पखवाड़ा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य व नवजात की उचित देखभाल का संदेश दिया गया है। कलेक्ट्रेट से मंगलवार को पोषण पखवाड़ा जागरूकता रैली निकाली गयी। जिसे डीएम निधि गुप्ता वत्स ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मकसद महिलाओं के स्वास्थ्य व उसके नवजात बच्चों की उचित देखभाल है। कुपोषित बच्चे हैं उनको एनआरसी में भर्ती करना भी इसमें शामिल है। रैली के माध्यम से संदेश दिया गया जो कि एक हजार दिन तक घर की गर्भधात्री महिलाएं हों उनका पूरा ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान को अधिकारी पूरी गंभीरता से लें। लापरवाही किसी भी हाल में सहन नहीं की जायेगी। आम लोगों को इसका लाभ पहुंचायें। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानप्रकाश तिवारी, संजीव कुमार आदि मौजूद रहे।

डीएम के आदेश को धनौरा प्रशासन ने दिखाया ठेंगा

राजस्व निरीक्षक ने अवैध तरीके से ठेके पर दी सैकड़ों बीघा जमीन

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। गंगा की रेती पर अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। डीएम के आदेश के बाद भी मंडी धनौरा के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गयी है।

बताते चलें कि मंडी धनौरा व हसनपुर तहसील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गंगा व वन विभाग की भूमि पर जिले व मेरठ व बुलंदशहर के भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। जिसे लेकर कई बार खूनी संघर्ष भी हो चुका है। परन्तु प्रशासन ने आज तक इन घटनाओं से सबक लेकर मामले का कोई ठोस समाधान नहीं निकाला। शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने दो अप्रैल को धनौरा के एसडीएम चन्द्रकांता को मामले की जांच के आदेश दिये थे। परन्तु आज तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। मेरठ के हस्तिनापुर के गांव जलालपुर जोरा निवासी नरेन्द्र कुमार पुत्र जयपाल सिंह ने राजस्व उप निरीक्षक मुकेश गौड़ पर आरोप लगाया है कि वह दो हजार रूपये प्रति बीघा जमीन के हिसाब से भूमाफियाओं को ठेका देता है। भूमाफिया अर्जुन पुत्र सुरेश, पुरूषोत्तम पुत्र प्रीतम, जोगेन्द्र, कौशल पुत्र ज्ञान सिंह, अशोक पुत्र गंगाराम निवासी केशोपुरा, सतवीर, धन्नी, लूटन, सतेन्द्र, मुखिया पुत्र दौलत, ब्रहमपाल, नरेश पुत्र मिट्ठन, मनोज, त्रिलोक, पप्पू, धनपाल पुत्र शीशपाल, कालिया पुत्र बत्तू, भूरे पुत्र गोविंद, कौशिन्द्र पुत्र रकमे, सुखराज सिंह, मनजीत सिंह पुत्र चरन सिंह, गुड्डू पुत्र राजकिरन, टीनू पुत्र जयपाल निवासी जलालपुर जोरा आदि भूमाफियाओं ने भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। वह इस जमीन पर अवैध रूप से खेती कर रहे हैं जबकि राजस्व विभाग को लाखों रूपये का नुकसान पहुंचा रहे हैं। उक्त भूमाफियाओं की कई बार शिकायत अधिकारियों से की गयी। जबकि मेरठ प्रशासन भी उक्त भूमाफियाओं पर पूरी तरह मेहरबान है। गांव जलीलपुर जोरा आदि की लगभग 1444.83 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। जिस पर गन्ने व अन्य फसले खड़ी हैं। शिकायतकर्ता ने उक्त फसलों को जब्त कर नीलामी के बाद पैसे को सरकारी खजाने में जमा करने की मांग की है।

- **मुख्यमंत्री से की मामले की शिकायत**

पालिका ने की सात करोड़ की रिकार्ड वसूली

वसूली समेत समस्त सेवाएं ऑनलाइनः ईओ

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। नगर पालिका ने इस वर्ष सात करोड़ रूपये से अधिक वसूली कर पिछला रिकार्ड तोड़ दिया। अधिशासी अधिकारी डा. ब्रजेश कुमार ने बताया कि पालिका द्वारा कर करेत्तर वसूली में 448.67 लाख वार्षिक वसूली का लक्ष्य रखा गया था। चार राजस्व निरीक्षक तैनात किये गये थे जबकि अमीनों की टीम बनाकर वसूली करायी गयी। नए व छूटे गये भवन पर कर लगाकर कार्रवाई की गयी। जबकि किराये की दुकानों की नीलामी व शासन द्वारा दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनरा. शि, बैकरी, मिठाई की दुकान, लकड़ी टाल, ई रिक्शा लाइसेंस, भूसा टाल, पाल बल्ली, पैथोलोजी लैब, मैरिज हाल, गेस्ट हाउस, डेयरी, अस्पताल, अल्ट्रासाउंड सैंटर से गृहकर व जल कर की वसूली 701.64 लाख की की गयी। उन्होने बताया कि पालिका के करों की वसूली व अन्य सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। चेयरमैन श्रीमति शशि जैन ने बताया कि पालिका द्वारा लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करायी जा रही है।।

मंदबुद्धि महिला ने कई वाहनों के शीशे तोड़े

शाह टाइम्स संवाददाता,

गजरौला। नगर के इंदिरा चौक पर मंगलवार की दोपहर में एक मंदबुद्धि महिला ने जमकर हंगामा मचाया। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते उसने यहां से गुजर रहे चार पहिया, दो पहिया वाहनों पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जिससे करीब 12 गाड़ियों के शीशे टूट गए। महिला की इस हरकत से चौराहे पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीर इधर भागने लगे। वाहनों पर पत्थर फिंकते देख कुछ लोगों ने अपने वाहन दूर से ही मोड़ लिए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, मगर महिला का उग्र व्यवहार देखकर पुलिस भी एकदम से उसे नहीं रोक पाई। महिला ने लगभग आधे घंटे तक इस तरह का व्यवहार जारी रखा। इसके बाद वह खुद ही वहां से चली गई। घटना के दौरान कई राहगीर बाल-बाल बच गए, हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।यहां से जाने के बाद वह फ्लाईओवर के पास पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, हालांकि वहां पर उसने कोई हंगामा नहीं किया। वहीं चर्चा है कि थोड़ी देर बाद कुछ साधु संत उसके पास बैठे थे और वे महिला को साथ लेकर चौपला दिशा की ओर ई-रिक्शा में बैठकर रवाना हो गए।

- **राहगीरों ने इधर उधर भागकर बचाई जान**

कार्यालय ग्राम पंचायत किरा विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत किरा विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती नीतू ग्राम प्रधान) ग्राम पंचायत किरा विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री एनोज एंथोनी सचिव) ग्राम पंचायत किरा विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मतवाली विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मतवाली विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती माया देवी ग्राम प्रधान) ग्राम पंचायत मतवाली विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री एनोज एंथोनी सचिव) ग्राम पंचायत मतवाली विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढोलसर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ढोलसर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री आजाद मोहम्मद ग्राम प्रधान) ग्राम पंचायत ढोलसर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री एनोज एंथोनी सचिव) ग्राम पंचायत ढोलसर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मथुरापुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मथुरापुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री कल्लू सिंह ग्राम प्रधान) ग्राम पंचायत मथुरापुर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री गंगा सिंह सचिव) ग्राम पंचायत मथुरापुर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत हुसैनगंज विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हुसैनगंज विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री अभिषेक सिंह ग्राम प्रधान) ग्राम पंचायत हुसैनगंज विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री गंगा सिंह सचिव) ग्राम पंचायत हुसैनगंज विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत बूढ़पुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बुढ़पुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री लाल सिंह ग्राम प्रधान) ग्राम पंचायत बुढ़पुर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री गंगा सिंह सचिव) ग्राम पंचायत बुढ़पुर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत जनकपुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जनकपुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री ठाकुरदास ग्राम प्रधान) ग्राम पंचायत जनकपुर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री गंगा सिंह सचिव) ग्राम पंचायत जनकपुर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत बिचपुरी संग्रामपुर वि. ख. शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बिचपुरी संग्रामपुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री कौसर अली ग्राम प्रधान) ग्राम पंचायत बिचपुरी संग्रामपुर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री गंगा सिंह सचिव) ग्राम पंचायत बिचपुरी संग्रामपुर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत नरखेड़ी विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नरखेड़ी विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(मानसी कुमारी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत नरखेड़ी
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री इन्तेजार अली सचिव)
ग्राम पंचायत नरखेड़ी
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत सूपा विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सूपा विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत सूपा
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री रोहित राव सचिव)
ग्राम पंचायत सूपा
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत रजोड़ा विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रजोड़ा विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत रजोड़ा
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री इन्तेजार अली सचिव)
ग्राम पंचायत रजोड़ा
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत सहविया खुर्द विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सहविया खुर्द विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री सुनील कुमार ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत सहविया खुर्द
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री इन्तेजार अली सचिव)
ग्राम पंचायत सहविया खुर्द
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत डोहरिया विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत डोहरिया विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री चरनजीत सिंह ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत डोहरिया
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री इन्तेजार अली सचिव)
ग्राम पंचायत डोहरिया
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत नवाबगंज विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नवाबगंज विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री गोविन्द राम ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत नवाबगंज
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री रोहित राव सचिव)
ग्राम पंचायत नवाबगंज
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत निस्वा विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत निस्वा विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती बब्ली ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत निस्वा
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री इन्तेजार अली सचिव)
ग्राम पंचायत निस्वा
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मदारपुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मदारपुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री पूरन सिंह ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मदारपुर
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री रोहित राव सचिव)
ग्राम पंचायत मदारपुर
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत ऊचा गॉव विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ऊचा गॉव विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती सरोज देवी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत ऊचा गॉव
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री अवधेश कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत ऊचा गॉव
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत बन्दार विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बन्दार विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती आरती ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत बन्दार
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री अवधेश कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत बन्दार
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत चकरपुर भूड़ वि. खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चकरपुर भूड़ विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती फात्मा बेगम ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत चकरपुर भूड़
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री अवधेश कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत चकरपुर भूड़
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत चतरपुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चतरपुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री रमेश सिंह ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत चतरपुर
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री अवधेश कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत चतरपुर
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत खण्डिया विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खण्डिया विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती सावरी बेगम ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत खण्डिया
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री धर्मेन्द्र सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत खण्डिया
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत हरैटा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हरैटा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती गलेराना ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत हरैटा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री धर्मेन्द्र सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत हरैटा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत नगलिया आकिल वि. ख. सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नगलिया आकिल विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती सलमा बेगम ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत नगलिया आकिल
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री धर्मेन्द्र सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत नगलिया आकिल
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मेहन्दीनगर शुमाली वि.ख. सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मेहन्दीनगर शुमाली विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री राहुल कुमार ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मेहन्दीनगर शुमाली
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री धर्मेन्द्र सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत मेहन्दीनगर शुमाली
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत नौरंगपुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नौरंगपुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती सुमन रानी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत नौरंगपुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री मनोज कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत नौरंगपुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मिलक मिर्जा फयाज वि.ख. सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मिलक मिर्जा फयाज विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री धर्मवीर सिंह ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मिलक मिर्जा फयाज
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री मनोज कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत मिलक मिर्जा फयाज
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत किसनपुर पनचक्की वि.ख. सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत किशनपुर पनचक्की विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री राहत जान ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत किशनपुर पनचक्की
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री मनोज कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत किशनपुर पनचक्की
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत नन्दगॉव विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नन्दगॉव विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती फूलवती ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत नन्दगॉव
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

(श्री अवधेश कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत नन्दगॉव
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढक्का हाजीनगर वि. ख. सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ढक्का हाजीनगर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती तब्बसुम जहॉं ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत ढक्का हाजी नगर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री मनोज कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत ढक्का हाजी नगर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत शाहदरा उर्फ थूनापुर वि. ख. सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत शाहदरा उर्फ थूनापुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री रामौतार ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत शाहदरा उर्फ थूनापुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री मनोज कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत शाहदरा उर्फ थूनापुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कुकड़ी खेड़ा विकास ख. सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कुकड़ीखेड़ा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती कलावती ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत कुकड़ी खेड़ा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री मनोज कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत कुकड़ी खेड़ा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत धनुपुरा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत धनुपुरा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती फरजाना ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत धनुपुरा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री धर्मेन्द्र सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत धनुपुरा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

ग्राम रूस्तमनगर छपर्रा में बाढ़ से बचाव हेतु 320.96 लाख रुपये की लागत से होंगे सुरक्षात्मक कार्य

शाह टाइम्स संवाददाता

स्वार/रामपुर। जिलाधिकारी जोगिन्दर सिंह ने अध्यक्ष, जिला पंचायत ख्यालीराम लोधी व पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र के साथ तहसील स्वार के ग्राम रूस्तमनगर छपर्रा में बाढ़ से सुरक्षा, बचाव एवं कटाव निरोधक कार्यों को कराये जाने हेतु 320.96 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत परियोजना का शिलान्यास किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में बाढ़ से बचाव एवं कटाव निरोधक कार्य कराये जाने हेतु 04 अन्य परियोजनायें भी स्वीकृत की गयी है। इन परियोजना में पहली परियोजना तहसील व विकास खण्ड शाहबाद के घोस. ीपुरा, सालेपुर व नवाबगंज आदि ग्रामों के तटबन्ध पर कार्य कराये जाने हेतु 341.86 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत की गयी है। दूसरी परियोजना तहसील व विकास खण्ड शाहबाद के ग्राम मझराघाट, मझरा छिद्न्नखॉन एवं बैरूआ आदि की राजेडा नदी से बाढ़ सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु 338.37 लाख रुपये की लागत से मंजूर की गयी है। तीसरी परियोजना तहसील बिलासपुर में पीलाखार नदी के बायें किनारे पर ग्राम सनकरा के समीप स्थित सनकरा तटबन्ध पर बाढ़ एवं सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु 156.68 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त चौथी परियोजना तहसील टाण्डा के कोसी नदी के दांये किनारे पर स्थित लालपुर गाईड बन्ध एवं ग्राम समूह ईश्वरपुर लालपुर आदि पर बाढ़ से बचाव एवं सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु 163.78 लाख रुपये की लागत से मंजूर की गयी है। जिलाधिकारी ने स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई को निर्देशित किया है कि सभी परियोजनाओं के सापेक्ष निर्माण कार्य मानसून सत्र से पूर्व कर लिये जायें। उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि उनके द्वारा इन सभी कार्यों की नियमित रूप मॉनीटरिंग की जाये। जिलाधिकारी ने बताया कि तटबंधों पर सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने से संबंधित ग्रामवासियों को संभावित बाढ़ से बचाव, सुरक्षा व राहत मिलेगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरीश कुमार गंगवार सहित अन्य अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे।

दो कार सवारों में टक्कर के बाद हुई मारपीट वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल पुलिस में मचा हड़कंप

शाह टाइम्स संवाददाता

मसवासी/रामपुर। एन एच 74 पर दो कार सवारों में टक्कर के बाद मारपीट हो गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई लेकिन मारपीट करने वाला युवक पहले ही कार को लेकर फरार हो गया।

घायल एक और सवार को इलाज के लिए रामपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के थाना काशीपुर निवासी सतनाम सिंह पुत्र मक्खन सिंह अपने बेटे के साथ काशीपुर से बाजपुर जा रहे थे की फोर लाइन पर पीछे से आ रहे एक कार सवार ने सतनाम सिंह की गाड़ी में टक्कर मार दी उन्होंने कार रोक कर इसका विरोध जताया तो गांव घोसीपुरा निवासी एक युवक ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

और उनके बेटे के साथ भी मारपीट की जिससे पगड़ी भी उछल कर दूर गिर गई इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई लेकिन तब तक मारपीट करने वाला युवक मौके से फरार हो चुका था पीड़ित ने इस मामले की तहरीर चौकी पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है।

चौकी प्रभारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया की तहरीर मिली है जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

आज होगी गेस्ट हाउस में भाकियू टिकैत की मासिक पंचायत

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहाबाद/ रामपुर। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश सचिव दरियाव सिंह यादव ने बताया कि बुधवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक पंचायत शाहबाद स्थित गेस्ट हाउस में 11 बजे होगी।

मासिक पंचायत को लेकर प्रदेश सचिव दरयाव सिंह ने क्षेत्र के किसानों और कार्यकर्ताओं व सदस्यों से पंचायत में अधिक से अधिक तादाद में पहुंचने की अपील की है। किसानों पर बिजली विभाग की तानाशाही को लेकर ज्यादा रोष है बिजली विभाग के खिलाफ कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा और इसके खिलाफ सीधे गेहूं की कटाई के बाद एक आंदोलन की तारीख निश्चित की इस पर खासतौर से चर्चा होगी।

कार्यालय ग्राम पंचायत वगरव्वा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत वगरव्वा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री जबाब हुसैन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत वगरव्वा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वसीम अकरम सचिव)
ग्राम पंचायत वगरव्वा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत सैदनगर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सैदनगर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती विमलेश ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत सैदनगर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री सुरेन्द्र शर्मा सचिव)
ग्राम पंचायत सैदनगर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत नवाबगंज शुमाली वि. खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नवाबगंज शुमाली विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री हरचरन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत नवाबगंज शुमाली
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री सुरेन्द्र शर्मा सचिव)
ग्राम पंचायत नवाबगंज शुमाली
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत बढ़पुरा शुमाली वि. खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बढ़पुरा शुमाली विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री कैलाश ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत बढ़पुरा शुमाली
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री सुरेन्द्र शर्मा सचिव)
ग्राम पंचायत बढ़पुरा शुमाली
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत इमरता विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत इमरता विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती नाजिया नाज ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत इमरता
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री सुरेन्द्र शर्मा सचिव)
ग्राम पंचायत इमरता
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्य करेंगी मीनाक्षी जैन

वीजी मिस इंडिया फीनेस और छत्तीसगढ़ क्वीन का खिताब जीतने वाली मीनाक्षी जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस

(इमरान हुसैन)
शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। 2025 के लिए वीजी मिस इंडिया फीनेस और छत्तीसगढ़ क्वीन का खिताब जीतने वाली मीनाक्षी जैन पत्रकारों से रूबरू हुईं। रामपुर फर्टिलाइजर्स स्थित वास्वी विलास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये स्थानीय महिलाओं को आगे लाने और उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेंगी। आगे आकर तरक्की की चाह रखनी वाली युवतियों और महिलाओं को उचित मंच प्रदान करेंगी।

एक गांव में अपने जन्म से लेकर वीजी मिस इंडिया फीनेस और छत्तीसगढ़ क्वीन का खिताब तक जीतने वाली मीनाक्षी जैन ने अपनी सफलता की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं में कॉन्फिडेंस पैदा करना ही उनका उद्देश्य है। फैशन शो के अलावा वर्कशॉप करना भी उनका मकसद है।

उन्होंने अपनी वो कविता भी सुनाई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। इस कविता में महिलाओं की पीड़ा बयान की गई है।

इस मौके पर रामपुर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में प्रबंध निदेशक अंशुमन खेतान, सीआरपीएफ के डीआईजी सुभाष चंद्र, पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कलचरल हेरिटेज (इंटेक) रुहेलखण्ड चौप्टर के सह संयोजक काशिफ खां भी मौजूद रहे। सभी ने मीनाक्षी जैन की उपलब्धि को सराहा और उन्हें बधाई दी।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने की ओजस्वी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। भारतीय जनता पार्टी, कार्यालय पर स्थापना दिवस एवं 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां के प्रचार प्रसार के अभियान के अंतर्गत, ओजस्वी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। बैठक में जिला अध्यक्ष हरीश गंग. वार ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी भारतीय जनता पार्टी की शक्ति हो और आप युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष अभियान आया है। इस अभियान के अंतर्गत आप सभी युवाओं को पूरे जनपद से युवाओं को अपनी बाइक के साथ इकट्ठे करने हैं और 11 अप्रैल को भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर के नीचे बाइक रैली निकालनी है, बाइक रैली सुबह 11 :00 बजे प्रारंभ होगी और सिविल लाइंस रामलीला ग्राउंड से प्रारंभ होकर पूरे नगर विधानसभा में भ्रमण करके अंबेडकर पार्क पर समाप्त होगी, मेरा आप सब ओजस्वी युवा पदाधिकारी से आग्रह है, पूरे जनपद से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आवाहन करें और भारी संख्या में युवाओं के साथ इस रैली को निकले और 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां का प्रचार प्रसार जनता में करें और इस रैली को सफल बनाएं। बैठक में जिला महामंत्री अशोक बिश्नोई, रविंद्र सिंह रवि, जिला उपाध्यक्ष मोहन कुमार लोधी, जिला मंत्री

महेंद्र सैनी, लाल मन तोमर, विकास दीक्षित, राहुल गुप्ता, ऋषभ ठाकुर,अमित चंद्रा, प्रशांत शर्मा, आकाश सक्सेना, विक्रम सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

आर.पी. सिंह इंटर कॉलेज का टूर पहुंचा कैंची धाम नैनीताल

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। मंगलवार को रुस्तमपुर में स्थित आरव पीव सिंह इंटर कॉलेज का टूर कैंची धाम नैनीताल बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए पहुंचा। आरव पीव सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने बताया कि वह प्रति वर्ष स्कूल के टूर का आयोजन करते है।

उनके द्वारा बताया गया कि नीम करौली बाबा का उद्देश्य प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना, दूसरों की मदद करना, और ईश्वर से जुड़ना था।

जिससे आत्मिक शांति प्राप्त हो सके इसलिए वह अपने पूरे स्टाफ को प्रति वर्ष ऐसे टूर पर लेके जाते है जहां से हमें दूसरों को प्रेरणा देने की शक्ति प्राप्त हो।

टूट पर प्रबंधक राज कुमार यादव और सतीश कुमार, संजीव कुमार, किशनपाल, लखविंदर सिंह, सुमित कुमार,शिवानी यादव, कंचन यादव आदि मौजूद रहे।

ख्वाजा सूफी अजीज मियां के कुल शरीफ में दुआ को उठे हजारों हाथ

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक /रामपुर। भैसोड़ी शरीफ में चल रहे हजरत ख्वाजा सूफी अजीज मियां के उर्स में कुल शरीफ में हजारों हाथ एक साथ दुआ को उठे और मुल्क में अमन चौन के लिए दुआ की गई।

देर रात हुए मुशायरे में शायरो ने कलाम पेश किये तहसील क्षेत्र के ग्राम मुर्शिद नगर भैसोड़ी शरीफ मे चल रहे शहीद- ए- मिल्लत अजीज -उल-औलिया हजरत ख्वाजा सूफी अजीज मियां के 55 वे सालाना उर्स के आज तीसरे दिन सुबह 11:00 कुल शरीफ का आगाज हुआ।

जिसमें उलेमाओ ने हजरत की शान में नातिया कलाम पेश किया और आखिर में कुल के बाद दुआ का सिलसिला शरू हुआ तरक्की, मुल्क में अमन चौन के लिए दुआ की गई। दुआ में हजारों हाथ एक साथ उठे कुल शरीफ के बाद महफिले रंग का प्रोग्राम हुआ जिसमें कव्वालो ने महफिले रंग का शानदार प्रोग्राम पेश किया।

जिस पर मुरीद लोग झूम उठे महफिले रंग के बाद लंगर ख्वानी हुई जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने शिरकत की। बाद नमाज-ए-ईशा मुशायरे का आगाज हुआ जिसमें शायरो और उलेमाओ ने अपने-अपने कलाम पेश किये।

उसके बाद महफिले शमा से दरगाह शरीफ का परिसर जगमगा उठा इन सभी कार्यक्रमों में दरगाह के साथ सज्जदानशीन हजरत ख्वाजा सूफी जावेद हसन शाह सहित हजरत के मुरीद और अकीकत मंद सैकड़ो की तादात में मौजूद रहे।

एस पी एल टूर्नामेंट में फाइनल अरहान लायंस क्लब ने जीता

विधायक पुत्र उमेर अंसारी ने खिलाड़ियों को दी ट्राफी

शाह टाइम्स संवाददाता

स्वार/रामपुर। मंगलवार बिलासपुर रोड हाथे चोराहे के बराबर मैदान पर एक सप्ताह से चल रहे एस पी एल स्वार प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ।जिसमे फाइनल में अरहान लायंस क्लब और ग्रीनसिटी क्लब के बीच मैच खेला गया।

जिसमे अरहान लायंस क्लब ने 6 विकेट से मैच जीत करै च्स ट्रॉफी अपने नाम कर ली।इस मौके पर विजेता टीम के कप्तान सुलेमान खान व अन्य खिलाड़ियों को स्वार टांडा विधायक शफीक अहमद अंसारी के पुत्र उमेर अंसारी ने विज. ेता टीम को ट्रॉफी देते हुए सम्मानित

किया। टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच व मैन ऑफ द सीरीज सोनू वकार रहे. विधायक पुत्र उमेर अंसारी ने कहा की यह हमारे क्षेत्र के लियें सौभाग्य की बात है की हमारे क्षेत्र में क्रिकेट के उभरते हुऐ खिलाडी हैं।विधायक पुत्र ने कहा हमारी पूरी कोशिश रहेगी की स्वार और टांडा में एक एक स्टेडियम बने. जिससे हमारे क्षेत्र के खिलाड़ियों में जो प्रीतिभा है उसमे और निखार आये। विधायक जी की पहली प्राथमिकता है की हमारे क्षेत्र से भीं खिलाडी नेशनल लेबल जाकर हमारे स्वार टांडा का नाम रोशन कर सके साथ में वार्ड सभासद सरफराज कुरैशी, इस्लाम राणा,वासित अली, कादिर प्रधान, हनीफ मेंबर, मोहम्मद आसिफ, जावेद मेवाती तौफीक, रोजी, शानू, आदि मौजूद रहे।

बैनामे को लेकर तहसील में मारपीट ,मौके पर पहुंची पुलिस

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। मंगलवार को थाना क्षेत्र के सराय इमाम के चार भाइयों के बीच बैनामे के दौरान सब रजिस्टर कार्यालय में मारपीट हो गई। मारपीट में जमकर हाथापाई हुई। मारपीट में एक भाई गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस तीन लोगों को लेकर थाने आ गई। जबकि एक भाई तहसील से फरार हो गया। मंगलवार को सराय इमाम गांव निवासी शीशपाल अपनी जमीन का बैनामा अपनी पत्नी के नाम कराने तहसील आया था, जिसकी सूचना शीशपाल के भाई गोकुल को लगी। आरोप है कि गोकुल अपने भाई शिशुपाल की जमीन जालसा. जी कर हथियाने के चक्कर में है। आरोप है कि गोकुल और उसके बेटे ने सब रजिस्टर कार्यालय के बाहर अपने भाई शीशपाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए शेर सिंह के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट में शेर सिंह को गंभीर चोटें आई है। मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शेर सिंह, शीशपाल और गोकुल के बेटे टिंकू को थाने ले आई। पुलिस ने शेर सिंह को मेडिकल को भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बताते चले कि एक दिन पहले भी इन भाइयों के बीच दानपत्र कराने को लेकर विवाद हो चुका था। जिसमें पुलिस की मौजूदगी में तहसील में जमकर हंगामा हुआ था।

ट्रैक्टर पलटने से दो लोग घायल, रेफर

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। ट्रैक्टर द्वारा खेत से इंजन लेने जा रहे व्यक्ति का ट्रैक्टर पलट जाने से दो लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम बमनपुरी निवासी भारत सिंह और गांव के ही नरेश शर्मा खेत पर रखे इंजन को ट्रैक्टर के द्वारा लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन आनन फानन फोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार देकर दोनों भाइयों की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

सम्बन्ध विच्छेद सूचना

मैंने अपने तीन पुत्र अर्जुन,शिवा, देवेश कुमार को गलत कृत्यों के चलते अपनी चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। भविष्य में इन सभी से और इनके परिवार से मेरा व मेरे परिवार का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। अपने कृत्य के वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

महावीर पुत्र बालजीत
नि.ग्राम टाण्डा तह. व थाना
शाहबाद जिला रामपुर।

अखिल भारतीय जाटव महासभा के जिला प्रचार मंत्री बने सत्यवीर सागर

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक/रामपुर। अखिल भारतीय जाटव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश सागर द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया जिसमें सत्यवीर सागर को रामपुर जिला प्रचार मंत्री बनाया गया है। नियुक्ति पत्र दिए जाने के दौरान संगठन की जिम्मेदारियां प्रदान की गई।

प्रदेश अध्यक्ष महेश सागर ने कहा अखिल भारतीय जाटव महासभा मजबूत संगठन है जो कि हमेशा बहुजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है । अखिल भारतीय जाटव महासभा संगठन उभरता हुआ संगठन है जिसमें युवा बढ़-चढ़कर जुड़ रहे हैं। जिला प्रचार मंत्री सत्यवीर सागर हमारे संगठन में काफी समय से जुड़े हुए थे जिन्हें 07अप्रैल 2025 को जिला प्रचार मंत्री का नियुक्ति पत्र देकर संगठन की जिम्मेदारियां दी गई हैं। हमें उम्मीद हैं कि सत्यवीर सागर द्वारा हमेशा संगठन को मजबूत

बनाने व आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जिला प्रचार मंत्री सत्यवीर सागर ने अखिल भारतीय जाटव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश सागर को विश्वास दिलाया है कि वह पूरी निष्ठा व जिम्मेदारी से अपनी पद की गरिमा को रखते हुए संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। इस मौके पर ओम प्रकाश सागर , सर्वेश मौर्य , जबर सिंह सागर आदि संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

शाह टाइम्स

स्वामी शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक **एस.एन. राना** द्वारा शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. सुजड़ू चुंगी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर से मुद्रित एवं मौहल्ला सुफी टोला शाहजहांपुर रोड़ बरेली, उप्र।

सम्पादकः
एस.एन. राना
*कार्यकारी सम्पादक
आनन्द बत्रा 'सुमन'
☎0581-2562222 (बरेली)
मुख्यालयः
मोबाइल-9720007290
R.N.I. No UPHIN/2003/11165
www.shahtimesnews.com
email:shahtimes2015@gmail.com

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु PRB एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद मुजफ्फरनगर न्यायालय के अधीन ही होंगे।

आपसी विवाद में एक घायल, रेफर

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। मंगलवार को आपसी विवाद के चलते हैं एक गंभीर रूप से घायल हो गये।

शाहबाद थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर निवासी 51 वर्षीय कमरुद्दीन को उनके ही चचेरे भाई अली अहमद ने बुरी तरह पीटा। कमरुद्दीन ने जानकारी देते हुए बताया चचेरे भाई अली अहमद के लड़के की शादी है तो उनके समधी मेरे घर शादी का कार्ड लेकर आए थे। सिर्फ इसी बात को लेकर अली अहमद ने गाली बकना शुरू कर दिया जब मैने इसका विरोध किया तो अली अहमद ने लाठी से बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला कमरुद्दीन को परिवार के लोग कमरुद्दीन को निजी वाहन से साम. ुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद लेकर पहुंचे डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद कमरुद्दीन की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रामपुर रेफर कर दिया।

छेड़छाड़ के आरोप में दो अज्ञात पर केस दर्ज

शाह टाइम्स संवाददाता

सैफनी/ रामपुर। रविवार को सैफनी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक नाबालिक किशोरी ने सैफनी थाने में उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने वाले दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है उसका आरोप है कि बीते 3 अप्रैल को दिन में लगभग 2:30 बजे वह अपने घर से लकड़ी लेने के लेने अपने खेत पर गई थी जब उसने लकड़ी बांध दी तो लकड़ी उठाने के लिए किसी को देख रही थी तभी मोटरसाइकिल से दो लड़के आए और पीड़िता को अकेला देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगे जब पीड़िता ने उसका विरोध किया और चिल्लाई तो उसके गांव के रिश्ते में दादी चिल्लाकर दौड़ी तब मोटरसाइकिल पर सवार दोनों पीड़ित को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दो अज्ञात के खिलाफ कैस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

हिन्दी दैनिक शाह टाइम्स समाचार पत्र में समाचार एवं विज्ञापनों के लिए सम्पर्क करें।

इमरान हुसैन
जिला प्रभारी रामपुर
कार्यालय निकट कचहरी के दूसरे गेट के सामने गली में
सम्पर्क सूत्र 9720093014
7906773314

● विराट कोहली की उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पारी के हिसाब से 13 हजार रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए है

विराट ने टी-20 में 13 हजार रन बनाए

खिलाड़ियों में विंडीज खिलाड़ी क्रिस गेल सबसे आगे है, जिन्होंने 14562 रन बनाए हैं

मुंबई, वार्ता। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पुरुष टी-20 क्रिकेट में 13 हजार रन बनाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पांचवें क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने अपनी 386वीं पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। 36 वर्षीय कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में अपना 17वां रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही वह टी-20 रन बनाने वाले शीर्ष खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए, जिसमें वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी क्रिस गेल सबसे आगे हैं, जो 381 पारियों में 14 हजार 562 रन बनाकर इस सूची में शीर्ष पर हैं। टी-20 में सर्वकालिक रन बनाने वालों की सूची में कोहली से आगे इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स (474 पारियों में 13,610), पाकिस्तान के शोएब मलिक (487 पारियों में 13,557) और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड (594 पारियों में 13,537) हैं। कोहली की यह उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पारी के हिसाब से 13,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं, उनसे आगे केवल गेल हैं। सभी प्रारूपों में अपनी निरंतरता और क्लास के लिए जाने जाने वाले कोहली आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए मुख्य खिलाड़ी बने हुए हैं और विश्व क्रिकेट में सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं।

आईपीएल-2025 का यह सप्ताह शानदार होगा: शेन वॉटसन

● **बुमराह की वापसी से मुंबई को सपोर्ट मिलेगा, 13 अप्रैल को एमआई-डीसी के बीच मुकाबला**

नई दिल्ली, वार्ता। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी और जियोस्टार एक्सपर्ट शेन वॉटसन को लगता है आईपीएल 2025 का यह सप्ताह काफी शानदार होने वाला है। दरअसल, इस सप्ताह कई राइवल मैच होने है। 12 अप्रैल को गुजरात का सामना लखनऊ से और 13 अप्रैल को मुंबई का सामना दिल्ली से होगा। शेन वॉटसन ने कहा कि मेरे लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक शानदार मुकाबला होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स के पास काफी अच्छी टीम है। वहीं, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुम. राह की वापसी से मुंबई इंडियंस को सपोर्ट मिलेगा, जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसलिए मुझे लगता है कि यह इस राइवल वीक के बेस्ट मुकाबलों में से एक होने वाला है।श उन्होंने आगे कहा कि लीग में इस समय जब बात लखनऊ जायंट्स और गुजरात टाइटंस की हो रही है तो जीटी आग उगल रही है। उन्होंने अपने आखिरी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बहुत अच्छा खेला। टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए मुझे लगा कि लीग की शुरुआत से पहले जीटी टीम में कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन टीम ने हैदराबाद के खिलाफ इस सीजन पहली बार वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, वे वास्तव में अपनी टीम के लिए काफी वैल्युएबल प्लेयर साबित होंगे। अक्षर पटेल शानदार लीडर वॉटसन ने कहा, श्जब बात इस सीजन किसी बेहतरीन खिलाड़ी की आती है, तो मैं अक्षर पटेल का नाम लूंगा।

रजत पाटीदार पर लगा धीमे ओवर रेट का जुर्माना

● **रजत की अगुवाई वाली आरसीबी निर्धारित समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाई थी**

मुम्बई, वार्ता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ धीमे ओवर रेट के लिए 12 लाख रूपये जुर्माना लगा हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार पर सोमवार रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस पर जीत के दौरान धीमे ओवर रेट के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)2025 में आरसीबी पर पहली बार धीमे ओवर रेट अपराध के लिए जुर्माना लगा हैं। इससे पहले हार्दिक पांड्या, रियान पराग और ऋषभ पंत पर भी धीमे ओवर रेट के लिए जुर्माना लगा चुका हैं। पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी निर्धारित समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाई थी। आईपीएल की आचार संहिता के तहत उन्हें धीमे ओवर रेट का दोषी करार देते हुए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आरसीबी ने मैच में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मुम्बई इंडियंस को 12 रनों से हरा दिया था।

पुकोवस्की ने चोट के कारण क्रिकेट से लिया संन्यास

27 वर्षीय विल पुकोवस्की ने 2021 में भारत के खिलाफ एक टेस्ट खेला था

मेलबर्न, वार्ता। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर विल पुकोवस्की ने चोट के कारण क्रिकेट से सभी प्रारुपों से संन्यास ले लिया हैं।

विल पुकोवस्की ने मंगलवार को मेलबर्न में एसईएन रेडियो पर अपने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि बहुत निराश हूं, यह बहुत कठिन साल रहा है। उन्होंने कहा कि काश मैं बेहतर परिस्थितियों में होता। उन्होंने कहा कि सरल संदेश यह है कि मैं फिर से किसी भी स्तर पर क्रिकेट नहीं खेलूंगा। 27 वर्षीय पुकोवस्की ने 2021 में भारत के खिलाफ एक टेस्ट खेला था।

वह पिछले वर्ष शेफील्ड शील्ड में मैच के दौरान तस्मानिया के खिलाफ रिले मेरेडिथ की गेंद हेलमेट पर लगने के बाद वे चोटिल होकर रिटायर हर्ट हो गए थे। पिछले वर्ष ही चोट लगने के बाद एक स्वतंत्र मेडिकल पैनल ने पुकोवस्की को क्रिकेट से संन्यास लेने का सुझाव दिया था। उन्हें किशोरावस्था में फुटबॉल खेलते समय पहली बार सिर में चोट लगी थी। वह कंस्यूशन से पीड़ति थे। पुकोवस्की ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 45-19 की औसत से 2350 रन बनाए, जिसमें सात शतक शामिल हैं, जिनमें से तीन दो. हरे शतक शामिल है।

वनडे त्रिकोणीय सीरीज भारतीय टीम में तीन नए खिलाड़ी

आयरलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में बाहर बैठने के बाद हरमनप्रीत को कप्तान बनाया गया

भारतीय टीम का फाइल फोटो

मुम्बई, वार्ता। श्रीलंका में होने वाले एकदिवसीय त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम में काशवी गौतम, एन श्री चरनी और शुचि उपाध्याय को पहली बार शामिल किया गया है।

चयनकर्ताओं ने जनवरी में आयरलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में बाहर बैठने के बाद हरमनप्रीत कौर को बतौर कप्तान के रूप में टीम में जगह दी है। इसके अलावा स्नेह राणा, यास्तिका भाटिया, अरुंधति रेड्डी और अमनजोत कौर को भी टीम में शामिल किया गया हैं। चयनकर्ताओं ने चोटिल रेणुका सिंह, पूजा वस्त्रकार और तेज गें. दबाज तीतास साधु के नाम पर विचार नहीं किया गया। 21 वर्षीय का काशवी गौतम इस साल वूमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में से एक रहीं। उन्होंने अपने नौ मैचों में 11 विकेट लिए। वहीं बीस वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर चरनी ने डब्ल्यूपीएल में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए सिर्फ दो मैच खेले और चार विकेट चटकाए। इस बीच, बाएं हाथ की स्पिनर उपाध्याय पिछले साल दिसंबर में आयोजित सीनियर महिला एकदिवसीय ट्रॉफी में तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज थीं। उन्होंने तब नौ पारियों में 3-48 की इकॉनमी रेट और 15-44 की औसत से 18 विकेट चटकाए थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उनकी टीम मध्य प्रदेश ने ट्रॉफी जीती। इस वर्ष भारत में सितंबर-अक्टूबर में होने वाले एकदिवसीय विश्व. कप को ध्यान में रखते हुए यह श्रृंखला तीनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। त्रिकोणीय सीरीज की तीसरी टीम दक्षिण अफीका है। सीरीज के सभी मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जायेंगे। पहला मुकबाला 27 अप्रैल को भारत और श्रीलंका के बीच होगा। 19 अप्रैल को भारतीय टीम दक्षिण अफीका से भिड़ेगी। दो मई को श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका, चार मई को श्रीलंका भारत, सात मई को भारत दक्षिण अफ्रीका और नौ मई को श्रीलंका और दक्षिण अफीका के बीच मैच खेला जायेगा। सीरीज का फाइनल 11 मई का होगा। एकदिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए भारतीय महिला टीम में हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, काशवी गौतम, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, तेजल हसबनिस, श्री चरणी और शुचि उपाध्याय।

कलिंगा सुपर कप 2025 के कार्यक्रम घोषित

कलिंगा सुपर कप 20 अप्रैल से 3 मई तक खेला जाएगा

नई दिल्ली, वार्ता। कलिंगा सुपर कप 2025 ओडिशा के भुवनेश्वर में 20 अप्रैल से 3 मई तक खेला जायेगा जिसमें 16 क्लब (इंडियन सुपर लीग से 13 और आई-लीग से तीन) भाग लेंगे। नॉक आउट प्रारूप में खेले जाने टूर्नामेंट के सभी मैच कलिंगा स्टेडियम में होंगे।

आईएसएल टीमों को 2024-25 सत्र में उनकी अंतिम लीग स्थिति के अनुसार राउंड ऑफ 16 के लिए वरीयता दी गई थी। तीन आई-लीग टीमों चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा, इंटर काशी और गोकुलम केरल एफसी ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। उनका सामना शीर्ष तीन आईएसएल टीमों (मोहन बागान सुपर जायंट, एफसी गोवा और बेंगलुरु एफसी) से होगा। इन तीनों मुकाबलों का फैसला 9 अप्रैल को ड्रॉ से होगा। राउंड ऑफ 16 20, 21, 23 और 24 अप्रैल को, क्वार्टर फाइनल 26 और 27 अप्रैल को, सेमीफाइनल 30 अप्रैल को और फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। यदि राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में 90 मिनट के अंत में स्कोर बराबर रहता है, तो कोई अतिरिक्त समय नहीं होगा और विजेता का निर्धारण पेनल्टी शूट-आउट से होगा।

यदि फाइनल में 90 मिनट के अंत में स्कोर बराबर रहता है, तो अतिरिक्त समय होगा, जिसके बाद चैंपियन का निर्धारण करने के लिए पेनल्टी शूट-आउट होगा। कलिंगा सुपर कप 2025 के विजेता 2025-26 एएफसी चैंपियंस लीग टू प्रारंभिक दौर के लिए क्वालीफाई करेंगे। ईस्ट बंगाल एफसी गत चैंपियन है, जिसने भुवनेश्वर में 2024 के फाइनल में ओडिशा एफसी को हराया था।

हार्दिक पांड्या के विस्फोट के बावजूद मुम्बई को मिली हार

मुबंई, वार्ता। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने मुबंई इंडियन (एमआई) को 12 रन से हरा दिया। बेंगुलुरु दस साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में मुबंई को हराने में सफल रहा है।

हार्दिक पांड्या (42 रन 15 गेंद) और तिलक वर्मा (56) के क्रीज पर रहते मुकाबला मुबंई के पाले में जाता दिख रहा था मगर 18वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की ऑफ स्टंप के बाहर जाती धीमी गति की गेंद को कट करने के प्रयास में तिलक डीप कवर में कैच दे बैठे जबकि अगले ही ओवर में पांड्या को जोश हेजलवुड ने अपना शिकार बना लिया। दोनो के आउट होने के बाद मुकाबला एक बार फिर बेंगलुरु के पाले में चला गया। आरसीबी के दिये गए 222 रन के जवाब में मुबंई इंडियंस निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 209 रन ही बना सकी। लक्ष्य पीछा करने उतरी मुबंई की शुरुआत औसत रही। 12वें ओवर में सूर्य कुमार यादव (28) के आउट होने के बाद पांड्या ने क्रीज पर आते ही चौके छक्कों की बरसात कर दी। उन्होने हेजलवुड के ओवर में दो चौके और दो छक्के जड़ कर मैच को रोमांच से भर दिया जबकि अगले ओवर में उन्होने अपने भाई कृणाल पांड्या पर भी रहम नहीं किया और उनकी भी जमकर धुनायी की। दूसरे छोर पर तिलक वर्मा भी बेंगलुरु के गेंदबाजो पर कहर बरपाते रहे और दोनो ने 89 रन की पार्टनरशिप कर डाली। इससे पहले विराट कोहली (67)-देवदत्त पड्डिक्कल (37) के बीच 91 रन और कप्तान रजत पाटीदार (62) -जितेश शर्मा (40 नाबाद) के बीच 69 रन की विस्फोटक साझीदारियों की बदौलत आरसीबी ने मुबंई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ पांच विकेट पर 221 रन का स्कोर खड़ा कर लिया।

लखनऊ ने कोलकाता को चार रन से हराया

पूरन ने नाबाद 87 रन और मिचेल मार्श ने 81 रनों की पारी खेली

कोलकाता, वार्ता। निकोलस पूरन (नाबाद 87), मिचेल मार्श (81) की अर्धशतकीय और एडन मारक्रम (47) की तूफानी पारियों के बाद गेंदबाजों शानदार प्रदर्शन की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के 21वें मुक. ाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को चार रन से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की यह इस सत्र की तीसरी जीत हैं। 239 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 37 के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक (15) का विकेट गवां दिया। क्विंटन डी कॉक को तीसरे ओवर में आकाश दीप ने पगबाधा आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सुनील नारायण के साथ पारी को संभाला। सातवें ओवर में दिग्वेश राठी ने सुनील नारायण (30) को एडन मारक्रम के हाथों कैच आउट करा कोलकाता को दूसरा झटका दिया। 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अजिंक्य रहाणे को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कराकर लखनऊ को तीसरी सफलता दिलाई। अजिंक्य रहाणे ने 35 गेंदों में आठ चौके और दो छक्के लगाते हुए (61) रनों की पारी खेली। कोलकाता का चौथा विकेट रमनदीप सिंह (एक) के रूप में गिरा। उन्हें रवि बिश्नोई ने आउट किया। 15वें ओवर में आवेश खान ने अंगकृष रघुवंशी (पांच) को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउटकरा दिया।16वें ओवर में आकाश दीप ने वेंकटेश अय्यर को मारक्रम के हाथों कैच आउटकरा कर पवेलियन भेज दिया। वेंकटेश अय्यर ने 29 गेंदों में एक छक्के और छह चौकों की मदद से (45) रन बनाए। 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने आंद्रे रसल (सात) को आउट किया। रिंकू सिंह ने अंतिम ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी और अपनी टीम को जीत की दहलीज तक, तो ले गए, लेकिन जीत नहीं दिला पाए। रिंकू सिंह ने 15 गेंदों में छह चौके और दो छक्के लगाते हुए (नाबाद 38) रनों की पारी खेली। हर्षित राणा (10) रन बनाकर नाबाद रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 234 रन ही बना सकी और चार रन से मुकाबला हार गई।

क्यों पिछड़ रही कांग्रेस

गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है। जो 8 से 9 अप्रैल तक चलेगा। मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चार घंटे चली। मीटिंग के बाद कार्यसमिति के सभी सदस्यों को पटेल लाइफ नाम की पुस्तक दी गई। कांग्रेस को अब लगा कि वह अगले चुनाव में अपना अस्तित्व बरकरार रख सकती है। आज इन्हें सरदार वल्लभाई पटेल याद आ रहे है। अगर पार्टी का प्रदर्शन गिरा, तो गांधी परिवार पर भी सवाल उठेंगे। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस कहां पिछड़ रही है और विपक्षी दलों के बीच ग्रैंड ओल्ड पार्टी की पोजीशन क्या है। आज अधिवेशन में 158 सदस्य मौजूद थे और सरदार पटेल पर विशेष चर्चा हुई और प्रस्ताव पास हुआ। गुजरात में अधिवेशन होना ही विशेष है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर बैठक हो रही है। पटेल और जवाहरलाल नेहरु आधुनिक भारत के निर्माता थे। इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होने का दावा करने वाले झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस को इस बात पर भी जोर देना होगा कि तराजू के दोनों पलड़ों का आकलन किया जाए। किस तरफ क्या है और क्या नहीं है? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ताकत और कमजोरियां क्या रही हैं, इन सब बातों पर भी मंथन करना जरूरी है। आज देश में जिस तरह नफरत फैल रही है, वहीं कांग्रेस इसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। उसे लोगों के बीच जाना होगा और अपने एजेंडे तथा पिछले किए गए कामों को बताना होगा, ताकि लोग उसमें विश्वास कर सकें। क्योंकि निकाय से लेकर लोकसभा तक भाजपा हर चुनाव पूरी गंभीरता और ताकत से लड़ती है। पन्ना प्रमुख' और 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' जैसे नए कॉन्सेप्ट से बीजेपी ने भारत में चुनावी राजनीति को नई दिशा दी है। आज के समय में भी कांग्रेस ही असल मायने में अखिल भारतीय पार्टी है। चौतरफा निराशा और निगेटिव खबरों के बावजूद, पार्टी की तीन राज्यों में सरकारें हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जलवा बरकरार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले थे। यह अकेली विपक्षी पार्टी थी जिसे डबल डिजिट में वोट मिले थे। ऐसे में पिछड़ने के बाद भी कांग्रेस दूसरे विपक्षी दलों से आगे है। राहुल की पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा... लोग कह रहे हैं कि इंडियन पॉलिटकल लीग में पार्टी अब गंभीरता दिखा रही है। हालांकि राहुल गांधी की इन यात्राओं का चुनाव में कितना असर दिखेगा, यह कहा नहीं जा सकता है। पिछले डेढ़ साल से राहुल लगातार घूमते रहे हैं। रोडशो किया, ट्रक में घूमे, लोगों से मिले, बातें की। इससे उनकी इमेज भी सुधरी है। राहुल गांधी बीजेपी-आरएसएस को खतरा बताते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें और उनकी पार्टी को नए नारों की जरूरत है, जिससे पीएम मोदी और भाजपा को चुनौती दी जा सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मिलिंद देवड़ा तक राहुल गांधी के कई पुराने साथी एक-एक कर 10 साल में बिछड़ गए। आज के कई मुख्यमंत्री पहले कांग्रेसी हुआ करते थे। कांग्रेस छोड़कर पहले भी नेता गए हैं, लेकिन राहुल की लीडरशिप में यह ज्यादा हुआ। वास्तव में आज कांग्रेस के सामने अगर कोई बड़ी चुनौती है तो उसे बूथस्तर पर एक मजबूत कार्यकर्ता की है देखने में आया भी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता चाहे वह राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी चुनावी सभाओं में भीड़ खींचने में तो सफल दिखाई देते है, लेकिन वह उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। आलोचक भी यही बात कहते है कि कांग्रेस भीड़ को वोटों में नहीं बदल पाती। यह कांग्रेस को सोचना होगा कि इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए शीर्ष मंथन के बाद किस तरह आगे बढ़ा जाए। इस समय जो अच्छी बात है वो यह है कांग्रेस के बड़े नेताओं से अब यह संकेत मिलने लगे है कि वह इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहे है और अब उन्हे लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी को बूथस्तर पर संगठन को मजबूती देनी होगी। जाहिर है उसके लिए जरूरी है युवाओं को उसके लिए ज्यादा प्रेरित किया जाए। अहमदाबाद में होने जा रही यह बैठक भी इसी का हिस्सा है।

अहिंसा के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती

सरदार वल्लभभाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंधों को लेकर भाजपा और आरएसएस भले ही दुष्प्रचार का प्रयास कर रही है, लेकिन सच यह है कि दोनों की सोच एक थी और इसी के परिणाम स्वरूप सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया और दुनिया भर में कांग्रेस का नाम रोशन किया, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़कर देश के बुनियादी मसलों से ध्यान भटकाने का आज काम हो रहा है और सीमित लोगों द्वारा देश के संसाधनों पर कब्जा करते हुए शासन को नियंत्रित करने का काम हो रहा है, गुजरात की धरती पर पैदा हुई तीन महान हस्तियों ने कांग्रेस का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, इनमें दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, गांधी जी ने हमें अन्याय के खिलाफ सत्य और अहिंसा का हथियार दिया। ये इतना मजबूत वैचारिक हथियार है कि इसके सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती।

मल्लिकार्जुन खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष

जंगल उजड़ते रहे और हिरण मरते रहे, पर मुकदमा किस पर चले

सालों पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर काले हिरण (ब्लैकबक) के शिकार का मामला दर्ज हुआ था, वह मामला आज भी अदालतों की फाइलों में जीवित है, चर्चा में है और उसके जरिये यह संदेश दिया जाता है कि कानून के सामने सभी समान हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है? आज जब हैदराबाद जैसे शहर के बाहर एक पूरा जंगल नष्ट कर दिया जाता है, जहां दर्जनों हिरणों की जान जाती है

प्रियंका सौरभ

भारत में पर्यावरणीय न्याय के दोहरे मापदंड है। एक ओर अभिनेता सलमान खान पर एक हिरण के शिकार का वर्षों तक मुक़दमा चलता है, जबकि दूसरी ओर, हैदराबाद में एक पूरे जंगल को उजाड़ दिया जाता है। जिसमें दर्जनों हिरण मारे जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों व्यक्तिगत अपराधियों को कठघरे में खड़ा किया जाता है, जबकि संस्थागत अपराधों पर कानून मौन हो जाता है। साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण कानूनों की अक्षमता, मीडिया की चुप्पी और समाज की निष्क्रियता है। यह जरूरी है कि वन्यजीवों और जंगलों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं और न्याय की परिभाषा को व्यापक और निष्पक्ष बनाएं।

सालों पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर काले हिरण (ब्लैकबक) के शिकार का मामला दर्ज हुआ था। वह मामला आज भी अदालतों की फाइलों में जीवित है, चर्चा में है, और उसके जरिये यह संदेश दिया जाता है कि कानून के सामने सभी समान हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आज जब हैदराबाद जैसे शहर के बाहर एक पूरा जंगल नष्ट कर दिया जाता है, जहां दर्जनों हिरणों की जान जाती है, तो न तो खबरें बनती हैं, न जांच बैठती है और न ही कोई मुकदमा चलता है। क्या कानून सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जो प्रसिद्ध हैं, और संस्थाएं या सरकारें इससे परे हैं?

वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण कानून...

भारत में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए कई सख्त कानून मौजूद हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत किसी भी संरक्षित जीव की हत्या, पकड़ या उसे नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। वहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है। लेकिन ये कानून कितने प्रभावी हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें लागू करने की राजनीतिक और सामाजिक इच्छाशक्ति कितनी है।

दोहरे मापदंड: व्यक्तियों पर सख्ती, संस्थाओं पर मौन...

सलमान खान जैसे अभिनेता के खिलाफ मामला इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि वह एक प्रसिद्ध चेहरा थे। उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा भले ही बाद में जमानत मिल गई। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि कानून काम कर रहा है। पर जब बात किसी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट, सरकारी योजना या शहरी विकास परियोजना की आती है, जो एक साथ सैकड़ों पेड़ों और दर्जनों जानवरों की बलि लेती है, तो प्रशासन मौन हो जाता है। न मुकदमा, न मीडिया ट्रायल, न जनआंदोलन।

हैदराबाद की घटना: जंगल की मौत, हिरणों का नरसंहार...

हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के तहत जंगल का एक विशाल क्षेत्र साफ कर दिया गया। इस क्षेत्र में रहने वाले हिरण, नीलगाय, खरगोश और कई पक्षियों की प्राकृतिक निवास स्थली नष्ट हो गई।

सूत्रों के अनुसार, जंगल की सफाई के दौरान दर्जनों हिरण मारे गए, कुछ मशीनों की चपेट में आए, तो कुछ भोजन और पानी की कमी से मारे गए। इस पर कोई औपचारिक आंकड़ा या सरकारी रिपोर्ट नहीं आई। कारण साफ हैकृइसका जिम्मेदार कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि 'प्रोजेक्ट' था। और प्रोजेक्ट्स पर मुकदमा नहीं चलता।

मीडिया और न्याय प्रणाली की भूमिका...

यह भी गौर करने योग्य है कि मीडिया की भूमिका भी इन दो चेहरों वाली न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। जहां एक ओर सेलेब्रिटी केस महीनों तक चौनलों पर बहस का मुद्दा बनते हैं, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद जैसी घटनाओं की खबरें स्थानीय अख़बारों के कोनों में दब जाती हैं या पूरी तरह नज़रअंदाज़ हो जाती हैं। न्याय प्रणाली भी अक्सर ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेती जब तक कि कोई जनहित याचिका दायर न की जाए या कोई एनजीओ इस पर विशेष ध्यान न दे।

हमारी भूमिका: सवाल पूछना जरूरी है...

समाज का भी दायित्व है कि वह ऐसे दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए। जब एक हिरण के शिकार पर हम नाराज़ होते हैं, तो सैकड़ों जानवरों की मौत पर हम क्यों चुप हो जाते हैं। क्या जंगल सिर्फ विकास के नाम पर बलिदान चढ़ाने के लिए हैं। क्या विकास की परिभाषा में प्रकृति का विनाश अनिवार्य है। हमें इन सवालों को अपने शहर, राज्य और देश के प्रशासन से पूछना होगा।

कानूनी समाधान और संभावनाएं

इस तरह की घटनाओं के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में मामला दायर किया जा सकता है। जनहित याचिकाएं (पीआईएल) उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) की प्रक्रियाएं पारदर्शी और मजबूत की जानी चाहिएं, ताकि किसी भी परियोजना को जंगलों को नुकसान पहुंचाने से पहले कठोर जांच से गुजरना पड़े।

जन आंदोलन और युवाओं की भागीदारी...

इतिहास गवाह है कि जब-जब जन आंदोलनों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई है, तब-तब व्यवस्थाओं को झुकना पड़ा है। आज भी जरूरत है कि छात्र, युवा, पर्यावरण प्रेमी, पत्रकार और जागरूक नागरिक मिलकर इस प्रकार के जंगल विध्वंस के खिलाफ संगठित हो जाएं। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम हो सकता है, लेकिन उससे आगे जाकर जमीन पर भी बदलाव की मांग करनी होगी।

न्याय का पुनर्परिभाषण...

सलमान खान पर मुकदमा इसलिए नहीं गलत था क्योंकि वह अकेले दोषी थे, बल्कि इसलिए कि वह अकेले दोषी नहीं थे। असली समस्या यह है कि बाकी दोषी लोग, संस्थाएं और परियोजनाएं कभी कटघरे में नहीं खड़ी होतीं।

हिंदू राष्ट्र संभव राजशाही कदापि नहीं...

2008 से अब तक नेपाल में 13 सरकारें सत्तासीन हुई और सभी मेल गठबंधन से यहां गठबंधन सरकारों पर गौर करें तो लभगभ सभी दल दुश्मन का दुश्मन दोस्त के फार्मूले पर ही सत्तासीन होते रहे, अभी की नेपाली कांग्रेस और चीन समर्थक ओली की एमाले गठबंधन की सरकार भी उसी तर्ज पर है नेपाली कांग्रेस भारत का समर्थक माना जाता है

यशोदा श्रीवास्तव

नेपाल में हुई हाल की घटनाओं को राजशाही के आगाज की दृष्टि से देखा जाना मुनासिब नहीं है,हां इसे हिंदू राष्ट्र की बढ़ रही मांग माना जा सकता है। नेपाल राजा शासन के वक्त नेपाल हिंदू राष्ट्र था। वहां मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि की आबादी इतनी भी नहीं है कि वे हिंदू राष्ट्र का विरोध करें। इस छोटी समुदाय को हिंदू राष्ट्र से कोई गिला शि. कवा भी नहीं रहा। राजशाही खत्म होने के बाद जब लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ तब संविधान में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। यह शासक दलों का अपना फैसला था न कि किसी ने इसकी मांग की थी।

हैरत है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित होने के बाद कुछ राजनीतिक दलों को हिंदू राष्ट्र की याद आई इसमें नेपाली कांग्रेस भी शामिल है। पिछले आम चुनाव में नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अपने भाषणों में कहा था कि उनकी सरकार सत्ता में आई तो हिंदू राष्ट्र की पुनर्बहाली पर विचार करेगी। बहरहाल नेपाली कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। और अभी राजा समर्थक प्रदर्शन के बीच नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशांक कोइराला ने भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में अपनी राय जाहिर की है। नेपाल में जब से लोकतंत्र बहाल हुआ तब से हुए अब तक चार चुनावों में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं नसीब हुआ लिहाजा गठबंधन की सरकारें आती जाती रहीं।

लोकतांत्रिक नेपाल का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हैरत है कि वर्ष 2008 से अब तक नेपाल में 13 सरकारें सत्तासीन हुई और सभी मेल गठबंधन से। यहां गठबंधन सरकारों पर गौर करें तो लगभग सभी दल दुश्मन का दुश्मन दोस्त के फार्मूले पर ही सत्तासीन होते रहे। अभी की नेपाली कांग्रेस और चीन समर्थक ओली की एमाले गठबंधन की सरकार भी उसी तर्ज पर है। नेपाली कांग्रेस को भारत का समर्थक माना जाता है।

राजशाही समर्थक नेपाल में 1991 का संविधान फिर से लागू किए जाने,देश में संवैधानिक राजशाही दोबारा लागू करके राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ होने की मांग कर रहे हैं। यह संभव नहीं है। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से इस मांग को अस्वीकार कर दिया है। पूर्व पीएम प्रचंड जो हाल की घटनाओं के लिए ओली सरकार को जिम्मेदार मानते हैं उन्होंने भी राजशाही की वापसी की मांग को खतरनाक माना है। प्रचंड ने तो पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र को नारायण हिटी नरसंहार की घटना का जिम्मेदार मानते हुए उक्त घटना की जांच हेतु आयोग के गठन तक की कर डाली। 2001 में नेपाल नरेश स्वर्गीय वीरेंद्र विक्रम शाह सहित संपूर्ण परिवार की उस समय हत्या कर दी गई थी जब यह शाही परिवार साप्ताहिक भोज पर इकट्ठा था। इस घटना का आरोप उनके बड़े बेटे दीपेंद्र पर लगा था। कहा गया कि नशे की हालत में उन्होंने पूरे परिवार की गोली मारी कर हत्या कर खुद को भी गोली मारी ली थी। घायल दीपेंद्र की भी दो दिन बाद मौत हो गई लिहाजा इस घटना की सच्चाई से पर्दा उठने से रह गया। प्रचंड ने ढाई दशक पूर्व की इस घटना की जांच की मांग कर नेपाल की राजनीति में न केवल हलचल मचा दी वे पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र के निशाने पर आ गए।

यह एक सच्चाई है कि लोकतंत्र बहाली के बाद से गठबंधन और अस्थिर सरकारों ने जनता का कोई भला नहीं किया। जनता में आक्रोश स्वाभाविक है, उसे किसी तीसरे विकल्प की तलाश तो है लेकिन वह राजशाही नहीं हो सकता। हां इस आंदोलन को तब भारी समर्थन मिल सकता था जब स्वर्गीय वीरेंद्र विक्रम शाह जीवित होते। नेपाल राज्याभिषेक परंपरा के अनुसार उनके छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह राजा तो हो गए थे, लेकिन जनता में इनकी वह लोकप्रियता नहीं थी जो स्वर्गीय वीरेंद्र की थी। आज भी नेपाल में घर घर स्वर्गीय नरेश विरेंद्र और उनकी पत्नी एश्वर्य राज लक्ष्मी की तस्वीरें टंगी हुई दिख रही हैं। नेपाल में राजा को विष्णु का अवतार माना जाता है इस वजह से वे जनमानस में श्रेय होते हैं।

बेमेल गठबंधन और अस्थिर सरकारों से जनता की नाराज़गी का फायदा राजा वादी समर्थकों ने पूर्व नरेश को आगे कर उठाने की भरपूर कोशिश की। पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र को भी पुन: राजसत्ता का सपना आने लगा। वे भी अपने लोगों के स्वागत समारोहों में शामिल होकर जनता का नायक बताने लगे नतीजा उनके समर्थक कुछ ज्यादा उत्साहित हो उठे। अभी कुछ रोज पहले काठमांडू में जिस तरह की अशांति हुई, उससे पूर्व नरेश के प्रति लोगों में नाराजगी ही दिखी। एक टीवी कैमरामैन सहित दो की हत्या, निर्दोषों के घरों में आगजनी और आते जाते निजी और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की घटना को उन अराजक तत्वों का कारनामा माना गया जो पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र के समर्थन में पूरे नेपाल खासकर तराई बेल्ट से आए हुए लोग थे।

फरवरी से लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक काठमांडू सहित नेपाल के विभिन्न हिस्सों में राजा वादी समर्थकों के कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं जिसमें काठमांडू का कार्यक्रम हिंसक हुआ है। राजा वादियों के समर्थन में जगह जगह भारी भीड़ तो उमड़ी लेकिन इसे पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र के पक्ष में लहर या आंधी नहीं कह सकते। आखिर राजशाही के खिलाफ 1996 से 2006 तक चले जनयुद्ध में आम जनता ही भागीदार रही। हजारों आंदोलनकारियों ने अपनी जान भी दी। ऐसे में राजशाही के समर्थन में इसी जनता का पुन: उठ खड़ा होना न तो संभव है और न ही संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है। यहां यह भी गौर करने की बात है कि जिन भी देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ वहां चुनी हुई सरकार से लाख मतभेद के बावजूद राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र को ही प्राथमिकता दी है। लोकतंत्र को मजबूती देना राजनीतिक पार्टियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। नेपाल की राजनीति में राजशाही या हिंदू राष्ट्र की मांग के बहाने जो उथल पुथल मचा है, समझा जाना चाहिए कि नेपाल की राजनीतिक पार्टियां इससे जरूर सबक ली होंगी और वे आपसी मतभेद भुलाकर जनता की भलाई और लोकतंत्र की मजबूती पर अब से जरूर ध्यान देंगी।

(ये लेखक के निजी विचार है)

खाओ पियो स्वस्थ रहो...

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम हृदय रोगों के जोखिम को 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है, लेकिन जब यह 'मध्यम' से 'अत्यधिक' की ओर बढ़ता है, तो स्थिति बदल सकती है

रजनीश कपूर

व्यायाम और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। नियमित शारीरिक गतिविधि से हृदय मजबूत होता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, और तनाव कम होता है। लेकिन क्या इस अच्छी आदत की भी कोई सीमा होती है? क्या ज्यादा व्यायाम करने से दिल की बीमारी हो सकती है। हाल के वर्षों में यह सवाल वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी लोकप्रिय जीवनशैली प्रथाओं और कम उम्र के फिट लोगों में अचानक मृत्यु के मामलों ने भी दुनिया भर में चिंता बढ़ाई है। आज कल के विज्ञापन के दौर में हर रोज़ कोई न कोई नई तकनीक प्रचारित की जाती है जो आपको स्वस्थ रहने के उपाय बताती है। लेकिन क्या ऐसे शॉर्टकट उपायों से वास्तव में आपके शरीर को फ़ायदा होता है। व्यायाम हृदय के लिए वरदान है। जब हम दौड़ते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो हृदय तेज़ी से धड़कता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, सप्ताह में 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम हृदय रोगों के जोखिम को 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है। लेकिन जब यह 'मध्यम' से 'अत्यधिक' की ओर बढ़ता है, तो स्थिति बदल सकती है। अति व्यायाम तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक कसरत करता है, या बिना पर्याप्त आराम या पोषण के ऐसा करता है। लंबे समय तक उच्च तीव्रता वाला व्यायाम हृदय पर दबाव डाल सकता है। शोध बताते हैं कि मैराथन धावकों या ट्रायथलॉन एथलीटों में व्यायाम के बाद रक्त में ट्रोपो. निन का स्तर बढ़ जाता है। यह प्रोटीन हृदयाघात के संकेत के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, 'एथलीट हार्ट सिंड्रोम' भी एक जोखिम है, जिसमें हृदय की मांसपेशियाँ मोटी हो जाती हैं और अनियमित धड़कन (एरिदमिया) की समस्या हो सकती है। कुछ मामलों में यह गंभीर हृदय रोगों का कारण बन सकता है। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को वजन घटाने और स्वास्थ्य सुधार के लिए काफ़ी लोक. प्रिय किया है। इसमें व्यक्ति निश्चित समय तक भोजन नहीं करता, जैसे 16 घंटे उपवास और 8 घंटे खाने का समय। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार। लेकिन जानकारों के अनुसार अति व्यायाम के साथ इसे जोड़ने से खतरे बढ़ सकते हैं। जब शरीर को ऊर्जा के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और साथ ही भारी व्यायाम किया

जाता है, तो हृदय पर अतिरिक्त तनाव पड़ता है। इससे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, कमज़ोरी, और हृदय की अनियमित धड़कन (एरिदमिया) का जोखिम बढ़ता है।

2023 में अमेरिका में एक 28 वर्षीय फिटनेस ट्रेनर की मृत्यु का मामला चर्चा में आया। वह इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ रोज़ाना 2 घंटे की तीव्र कार्डियो और वेटलिफ्टिंग भी करता था। पोस्टमॉर्टम में पता चला कि उसकी मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई, जिसका कारण इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और हृदय पर अत्यधिक दबाव था। यानी बिना संतुलन के फास्टिंग और व्यायाम खतरनाक हो सकता है।हाल के वर्षों में कम उम्र के स्वस्थ और फिट लोगों में अचानक मृत्यु के मामले बढ़े हैं। भारत में भी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। उदाहरण के लिए, 2022 में गुजरात में एक 19 वर्षीय युवक की जिम में वर्कआउट के दौरान मृत्यु हो गई। वह नियमित रूप से भारी वजन उठाता था और प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेता था। जांच में पता चला कि उसकी मृत्यु हृदयाघात से हुई, जो संभवत: अति व्यायाम और अपर्याप्त रिकवरी के कारण था। 2024 में दिल्ली में एक 25 वर्षीय मैराथन धावक की दौड़ के बाद मृत्यु हो गई। वह इंटरमिटेंट फास्टिंग पर था और बिना पर्याप्त हाइड्रेशन के लंबी दूरी दौड़ रहा था। डॉक्टरों ने इसे 'सडन कार्डियक डेथ' का मामला बताया, जो युवा एथलीटों में दुर्लभ लेकिन संभव है। ऐसे मामलों में अक्सर अज्ञात हृदय दोष (जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी) या अति तनाव जिम्मेदार होता है। अति व्यायाम और फास्टिंग का जोखिम हर किसी के लिए समान नहीं है। जिन लोगों का पारिवारिक इतिहास हृदय रोगों से जुड़ा है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा, पेशेवर एथलीट, जो अपनी सीमाओं को बार-बार चुनौती देते हैं, और युवा जो बिना मार्गदर्शन के जिम में घंटों बिताते हैं, वे भी जोखिम में हैं। अपर्याप्त नींद, खराब आहार, और डिहाइड्रेशन इस खतरे को और बढ़ाते हैं। क्या हमें व्यायाम या फास्टिंग से डरना चाहिए? नहीं, ये दोनों ही स्वस्थ जीवन के लिए लाभकारी हैं, बशर्ते इन्हें संतुलित तरीके से अपनाया जाए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि व्यायाम की तीव्रता और अवधि आपकी उम्र, फिटनेस स्तर, और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, 20 साल के युवा के लिए 1 घंटे की तीव्र कसरत ठीक हो सकती है, लेकिन 40 साल से ऊपर के व्यक्ति को मध्यम व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते समय भी पोषण और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। भारी व्यायाम से पहले और बाद में पर्याप्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लें। अगर आपको थकान, चक्कर, या अनियमित धड़कन महसूस हो, तो तुरंत रुकें और डॉक्टर से संपर्क करें। 'अति सर्वत्र वर्जयेत', यह कहावत व्यायाम और फास्टिंग दोनों पर लागू होती है। अति व्यायाम और असंतुलित फास्टिंग हृदय पर दबाव डाल सकते हैं, खासकर जब इन्हें बिना तैयारी या मार्गदर्शन के किया जाए। कम उम्र के फिट लोगों की मृत्यु के मामले हमें सावधान करते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति उत्साह अच्छा है, लेकिन उसे अंधे उत्साह में नहीं बदलना चाहिए। अपने शरीर के संकेतों को सुनें, संतुलन बनाए रखें, और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। आखिरकार, हमारा लक्ष्य लंबा, स्वस्थ, और सुखी जीवन जीना है।

Heatwave का अलर्ट जारी: दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं

अप्रैल के महीने में तापमान काफी इजाफा हो रहा है। धीरे-धीरे गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी है। ऐसे में प्डक ने हाल ही में दिल्ली समेत राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आपको सावधान रहने की जरुरत है। अब आपको तेज गर्मी में लू से कैसे बचें इस लेख में हम आपको बताएंगे।

हीट स्ट्रोक के लक्षण

शरीर का तापमान बढ़ना...

हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा लक्षण है शरीर का तापमान अचनाक 40°C या इससे अधिक भी हो जाता है। इस दौरान पसीना आना बंद हो जाता है, शरीर की ठंडा होने की प्रक्रिया फेल हो जाती है।

सिरदर्द और चक्कर आना...

लू लगन से तेज सिरदर्द होना और पानी की कमी होने लगती है, जिससे सिरदर्द, चक्कर आना या बेहोशी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है।

त्वचा का गर्म या लाल होना

लू लगने के बाद स्किन लाल, ड्राई और गर्म हो जाती है। पसीना निकलना बंद हो जाए, तो यह बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। इसका तुरंत उपचार कराए।

मतली और उल्टी होना...

हीट स्ट्रोक के दौरान जी मिचलना, पेट में जलन, मतली और उल्टी होने लगती है।

मांसपेशियों में ऐंठन होना...

डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कारण मांसपेशियों में ऐंठन या हाथ-पैरों में दर्द होने लगता है।

दिल की धड़कन तेज होना...

हीट स्ट्रोक के कारण हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, क्योंकि यह शरीर को खुद को ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है।

हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय...

- जितना होने सके खूब पानी पिएं। दिनभर में 8-10 गिलास पानी जरुर पिएं।
- नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और ओआरएस को घोल काफी फायदेमंद होता है।
- चाय, कॉफी और शराब से बचें, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं।
- गर्मियों मे सूती और लाइट कलर के कपड़े, जो पसीना सोख लें।
- धूप में निकलते समय छाता, टोपी या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें।
- इस दौरान दोपहर में 12 से 3 बजे तक धूप में निकलने से बचें। धूप में ज्यादा देर तक न रहें।

अमेरिका और ब्रिटेन की अदालतों ने प्रत्यर्पण पर सुनाया अहम फैसला

अमेरिका से तहव्वुर को झटका, ब्रिटेन से भंडारी को लेकर निराशा

न्यूयार्क। मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तहव्वुर को भारत लाने की राह और आसान हो गई। पाकिस्तानी मूल के 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा फिलहाल लास एंजिल्स के मेट्रोपालिटन डिटेंशन सेंटर में बंद हैं और भारत प्रत्यर्पण रुकवाने के पैंतरे आजमा रहा है। तहव्वुर राणा ने 27 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस और नौवें सर्किट की सर्किट जस्टिस एलेना कागन के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित मुकदमे पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन आवे. दन दिया था। पिछले महीने की शुरुआत में जस्टिस कागन ने राणा के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। राणा ने इसके बाद जस्टिस कागन को पूर्व में संबोधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित रहने तक स्थगन के लिए एक नया आपातकालीन आवेदन दिया। उसने अनुरोध किया कि नया आवेदन चीफ जस्टिस राबर्ट्स के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक राणा के नए आवेदन को 4 अप्रैल को कोर्ट के पास भेजा गया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिस के जरिये बताया गया कि अदालत ने उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले तहव्वुर राणा ने अपने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए नई चाल चली थी। राणा ने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन याचिका दायर की थी। आतंकी तहव्वुर राणा ने आवेदन में दावा किया था कि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है, इसलिए भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा, लिहाजा उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जाए। रणा ने अपने खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है।

लंदन: संजय भंडारी प्रत्यर्पण मामले में भारत सरकार को बड़ा झटका लगा है। लंदन हाईकोर्ट ने भारत सरकार के ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। रक्षा क्षेत्र के सलाहकार संजय भंडारी को नई दिल्ली लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके खिलाफ कर चोरी और धन शोधन मामला चलाया जा सके। लंदन हाईकोर्ट के जज लार्ड जस्टिस टिमोथी होलरोयड ने पिछले महीने भारत सरकार द्वारा दायर आवेदन के जवाब में रायल कोर्ट आफ जस्टिस में सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। भारत सरकार ने लंदन हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए कहा था कि इस मामले में जो मुद्दे हैं, वे केवल कानूनी नहीं, बल्कि सार्वजनिक महत्व के हैं। जस्टिस होलरोयड ने कहा कि अदालत को भारत सरकार की ओर से एक आवे. दन प्राप्त हुआ। इसमें सामान्य महत्व के कानूनी बिंदुओं के प्रमाणीकरण तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी गई थी। लिखित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद हमने पाया कि मौखिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आगे कोई और प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता भी नहीं है। जिन दो बिंदुओं पर अपील की अनुमति मांगी गई थी, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्य महत्व के कानून के दोनों बिंदुओं को न्यायालय के निर्णय में शामिल नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि अपील में पहला बिंदु आरोपी व्यक्ति पर लगाए गए प्रमाण के मानक से संबंधित था तथा दूसरा दिल्ली की तिहाड़ जेल की स्थितियों से जुड़ा था। इन दोनों बिंदुओं में से कोई भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने योग्य नहीं है। मामले में भारत सरकार ने दो-चरणीय प्रक्रिया में पहले चरण के रूप में आवेदन दायर किया था।

आर्कटिक महासागर की बर्फ 47 सालों में सबसे कम

ब्रुसेल्स। आर्कटिक महासागर की बर्फ इस साल मार्च में 47 सालों में सबसे कम हो गई है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा (सी 3 एस) की ओर से मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में, समुद्री बर्फ का विस्तार औसत से छह प्रतिशत कम था, जो चौथा लगातार न्यूनतम रिकॉर्ड है व अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार औसत से 24 प्रतिशत कम था। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे गर्म माह था, जिसमें औसत सतही वायु तापमान 14.06 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 1991-2020 के औसत से 0.65 डिग्री अधिक और पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.60 डिग्री अधिक था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पिछले 21 महीनों में से 20वां महीना भी था, औसत वैश्विक सतही वायु तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था। सी 3 एस की उप निदेशक सामंथा बर्गेस ने कहा कि मार्च में, यूरोप सबसे गर्म स्थान था। इस महाद्वीप में बारिश में अत्यधिक बदलाव देखा गया।

ट्रेड वॉर की आग में कूदने को तैयार: चीन का कड़ा संदेश

बीजिंग। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड वार की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया गया 34 प्रतिशत टैरिफ वापस नहीं लेता है तो उस पर बुधवार से 50 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। इसे लेकर चीन ने कहा है कि हमारे ऊपर लगे टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिका गलती के ऊपर गलती कर रहा है।

इस धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग करने वाला रवैया सामने आ रहा है। चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा, तो चीन भी आखिर तक लड़ेगा। चीन ने दुनिया के लिए साफ संदेश भेजा था कि अगर ट्रेड वार हुआ, तो चीन पूरी तरह तैयार है और इससे और मजबूत होकर निकलेगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली ने एक टिप्पणी में लिखा कि अमेरिकी टैरिफ का असर जरूर होगा, लेकिन आसमान नहीं गिरेगा। 2017 में अमे. रिका की तरफ से पहले ट्रेड वार की शुरुआत के बाद से चाहे अमेरिका ने जितना भी दबाव डाला हो, हमने लगातार विकास किया है और आगे बढ़े हैं।

हमने लचीलापन दिखाया है। जितना ज्यादा दबाव आता है, हम उतने ही मजबूत बनते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहाकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता बाजार होने के नाते, चीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बदलने के बावजूद दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलता रहेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के उपमंत्री लिंग जी ने अमेरिका से फंडिंग पाने वाली 20 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इनमें टेस्ला और जीई हेल्थकेयर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थीं। लिंग ने चीन को निवेश के लिए एक आदर्श, सुरक्षित और संभावनाओं से भरा हुआश स्थान बताया।

ओमान में पहली बार आमने-सामने होंगे ईरान-अमेरिका

ऐतिहासिक पल: परमाणु कार्यक्रम पर विशेष बातचीत की संभावना

तेहरान। ईरान में बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर इन दिनों मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते ही जा रहे है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मंगलवार को कहा कि वह ट्रम्प प्रशासन के दौरान पहली बार अमेरिकी दूत स्टीव विटकाफ से ओमान में मुलाकात करेंगे। इस बात. चीत का मुख्य उद्देश्य ईरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को रोकना है, क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव अभी भी बना हुआ है। मामले में जानकारी देते हुए अराघची ने एक टेलीविजन से बात करते हुए कहा कि ए वार्ता अप्रत्यक्ष रूप से होगी, जिसमें ओमानी मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर सकते हैं। बता दें कि बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस वार्ता को प्रत्यक्ष वार्ता कहा था, लेकिन ईरान ने इसे अप्रत्यक्ष बात. चीत बताया है। हालांकि अमेरिका और इस्राइल ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम को लेकर सैन्य हमले की चेतावनी भी दी है, जबकि ईरान लगातार यह चेतावनी देता आ रहा है कि वे परमाणु बम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसको लेकर अराघची ने कहा कि इन वार्ताओं का मुख्य लक्ष्य ईरानी लोगों के अधिकारों को बहाल करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रति. बंधों को हटाना है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल ईरान की प्राथमिकता अप्रत्यक्ष वार्ता ही है, और इसे प्रत्यक्ष वार्ता में बदलने की कोई योजना नहीं है। इस वार्ता की घोषणा के बाद, ईरान की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिला। ईरान की मुद्रा रियाल, जो पहले 1 मिलियन रियाल के निचले स्तर तक पहुंच गई थी, अब 990,000 रियाल पर आ गई है। इस खबर के बाद तेहरान स्टाक एक्सचेंज में भी लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि बीते शनिवार को बातचीत तब शुरू हुई जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को पत्र लिखकर तेहरान और वाशिंगटन के बीच सीधी बातचीत शुरू करने की कोशिश की। ट्रम्प का यह कदम बात. चीत को बढ़ावा देने का एक प्रयास था। इस बीच, ट्रम्प के प्रशासन ने यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर हवाई हमलों का अभियान तेज कर रखा है। हौथी विद्रोही ईरान के प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा माने जाते हैं, जो इजरायल पर हमले की क्षमता रखते हैं। वहीं, गाजा पटी में इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

एक अमेरिकी-दो रूसी क्रू आईएसएस रवाना

मास्को। नासा के अंतरिक्ष यात्री जानी किम और दो रूसी क्रू मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने रूसी अंतरिक्ष यान में सवार होकर आईएसएस के लिए सफलापूर्वक उड़ान भरी। तीनों आठ महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे।

सोयुज बूस्टर राकेट ने मंगलवार को तय समय पर बैकोनूर लॉन्च सुविधा से उड़ान भरी, जिसे रूस द्वारा कजाकिस्तान में लीज पर लिया गया है। तीनों क्रू के साथ सोयुज एमएस-27 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। वे तीन घंटे बाद स्टेशन पर डाक करने के लिए तैयार हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री किम और रूस के सर्गेई रेजिकोव और एलेक्सी जुब्रित्स्की अंतरिक्ष में लगभग आठ महीने बिताएंगे। नासा ने बताया कि किम भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्रू को करेंगे। इसके अलावा, पृथ्वी पर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक जांच और तकनीकी प्रदर्शन करेंगे।

बता दें कि किम लास एंजि. लिस के मूल निवासी हैं। वह अमे. रिकी नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और फ्लाइट सर्जन भी हैं। तीनों अमेरिकी-रूसी क्रू नासा के अन्य अंतरिक्ष यात्री डान पेटिट, ऐनी मैकक्लेन और निकोल एयर्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करेंगे। इसके अलावा, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री ताकुया ओनिशी, रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओ. विचिनिन, इवान वैगनर और किरिल पेसकोव भी उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर शामिल होंगे।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 102वीं मंजिल पर किया गया योग

न्यूयार्क। अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 102वीं मंजिल पर सोमवार (स्थानीय समयानुसार) सुबह योग किया गया। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस सत्र का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व आर्ट आफ लिविंग फाउंडेशन की प्रशिक्षक रुचिका लाल ने किया। इस योग सत्र में न्यूयार्क में भारत के उप महावाणिज्य दूत विशाल हर्ष, भारतीय प्रवासी, छात्र और योग उत्साही शामिल हुए। योग सत्र 1,776 फीट ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वन वर्ल्ड आब्जर्वेटरी की 102वीं मंजिल पर आयोजित किया गया, जो एक घंटे से अधिक समय तक चला। न्यूयार्क में भारत के महावाणिज्यदूत बिनया प्रधान ने सत्र में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बताया कि यह सत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिन की उल्टी गिनती के रूप में आयोजित किया गया।

हसीना का दावा- मैं बांग्लादेश जरूर लौटूंगी

कहा: अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा

ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है। मैं वापस लौटूंगी। वो दिन जरूर आएगा जब अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। अवामी लीग की अध्यक्ष हसीना ने यह बात उस वक्त कही जब वो सोशल मीडिया पर अपने पार्टी नेताओं के परिवार वालों से बात कर रही थीं। पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वे भारत में शरण लेकर रह रही हैं। हसीना ने बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लेकर कहा कि वो ऐसा शख्स है जिसे लोगों से कभी मोहब्बत नहीं थी। यूनुस ने गरीबों को छोटे-छोटे कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर दिए और इस पैसे से कई देशों में ऐशोआराम की जिंदगी जी। हसीना ने कहा कि उस वक्त हम यूनुस की चालाकी नहीं समझ पाए, इसलिए उसकी मदद करते रहे। लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ वह अमीर होता गया। बाद में उसमें सत्ता की भूख पैदा हो गई, जो आज बांग्लादेश को जला रही है। हसीना ने कहा- बांग्लादेश अब आतंकी देश बन गया शेख हसीना ने कहा कि पहले बांग्लादेश को विकास के माडल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब ए आतंकी देश बन गया है। हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मारा जा रहा है, उसे बताया भी नहीं जा सकता है। अवामी लीग, पुलिस, वकील, पत्रकार, कलाकार सभी को मारा जा रहा है। हसीना ने कहा कि अब तो इस देश में मीडिया को भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। रेप, मर्डर, डकैती किसी चीज की रिपोर्ट नहीं कराई जा रहा है। और अगर इसे रिपोर्ट किया जाता है, तो उस टीवी चैनल या अखबार को टारगेट किया जाएगा। हसीना बोलींकि अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं लौटकर आऊंगी अपने पूरे परिवार की भयानक हत्या को याद करते हुए शेख हसीना ने कहा कि मैंने अपने पिता, मां, भाई- सभी को एक ही दिन में खो दिया और फिर हमें देश लौटने भी नहीं दिया गया। मैं जानती हूं अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। अल्लाह हमेशा मेरी हिफाजत करता आया है, शायद वह मुझसे कुछ अच्छा करवाना चाहता है। जिन्होंने ये जघन्य अपराध किए हैं, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। यही मेरा वादा है।

अमेरिकी यूट्यूबर बिना इजाज़त भारत के प्रतिबंधित सेंटिनल द्वीप पहुंचा

डाइट कोक और नारियल छोड़कर आया, वीडियो भी बनाया

नई दिल्ली। भारतीय पुलिस ने 24 साल के एक अमेरिकी यूट्यूबर को हिंद महासागर के एक प्रतिबंधित द्वीप पर पहुंचने और वहां की जनजाति से संपर्क करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह यूट्यूबर अमेरिकी राज्य एरिजोना के रहने वाल है। उसका नाम मिखायलो विक्टोरोविच पोलियाकोव है। 29 मार्च को वह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप के प्रतिबंधित सेंटिनल द्वीप पर पहुंचा था। वहां रहने वाली सेंटिनली जनजाति से नहीं मिल पाया तो डाइट कोक और नारियल छोड़कर आया था। उसे 31 मार्च को पोर्ट ब्लेयर में गिरफ्तार किया गया था। एक स्थानीय कोर्ट ने पिछले हफ्ते उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। उसे 17 अप्रैल को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसे पांच साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस द्वीप की आबादी कई हजार साल से दुनिया से दूर है। ये लोग तीर और कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हैं। यहां अगर कोई बाहरी व्यक्ति पहुंच जाए तो उस पर भी तीरों से हमला करते हैं। पुलिस ने बताया कि पोलियाकोव ळच्ै नेविगेशन का इस्तेमाल करके इस द्वीप तक पहुंचा था। द्वीप पर उतरने से पहले उसने बाइनोकुलर्स से द्वीप का सर्वे किया। वह करीब एक घंटे तक द्वीप पर रुका। इस दौरान उसने सीटी बजाकर सेंटिनली लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने एक डाइट कोक और नारियल को वहां रखा, अपना वीडियो बनाया और रेत के कुछ नमूने लेकर वहां से वापस लौट गया। वापस जाते समय एक स्थानीय मछुआरे ने उसे देख लिया और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पोर्ट ब्लेयर में उसे गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ भारतीय कानून के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि पोलियाकोव ने इस द्वीप पर जाने से पहले समुद्री कंडीशन, ज्वार और द्वीप तक पहुंचने के रास्ते की गहरी रिसर्च की थी।